भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (छठा संशोधन) विनियम, 2024 (2024 का 4)

नई दिल्ली, 08/07/2024

मिसिल सं. आरजी-8/1/(9)/2021-बीएंडसीएस (1 एंड 3) - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम**, 1997 (1997** का **24)** की धारा **36** सपठित धारा **11** की उप-धारा (**1)** के अनुच्छेद (ख) के उप-अनुच्छेद (**ii**)**, (iii**) और (**iv**) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए**,** सपठित संचार एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) में भारत संचार की अधिसूचना संख्या **39,**

(क)जिसे उक्त अधिनियम की धारा **11** की उपधारा (**1)** के अनुच्छेद (डी) और धारा **2** की उपधारा (**1)** के अनुच्छेद (के**)** के परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है**,** और

(ख) जो भारत के राजपत्र**,** असाधारण**,** भाग-II**,** खण्ड-**3** में अधिसूचना संख्या एस.ओ **44(**ई) और **45(**ई) दिनांकित 0**9** जनवरी, 2004 के अंतर्गत प्रकाशित हुई है**,-**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकारण , दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा इंटरकॉनेक्शन (एड्रेसिबल सिस्टम्स) विनियमा**, 2017 (2017** का **1)** में आगे संशोधन करने के लिए एतद द्वारा निम्न विनियमों का निर्माण करता है**,** अर्थात-

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (छठा संशोधन) विनियम, 2024 (2024 का 4) कहा जाएगा।

   (2) ये विनियम भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होंगे।

   (3) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से नब्बे दिन के बाद लागू होंगे।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 (इसके बाद "मूल विनियम" के रूप में संदर्भित) के विनियम 2 में, उप-विनियमन (1) में, खंड (जेजे) के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्: -

"(जेजेए) "विनियम" का अर्थ है दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसिबल सिस्टम्स) विनियम, 2017;";

3. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 (इसके बाद "मूल विनियम" के रूप में संदर्भित) के विनियम 4 में, उप-विनियम (4) (एफ) में, दूसरा प्रावधान हटा दिया जाएगा।

4. मूल विनियमों के विनियम 7 में, उप-विनियम(9) के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“बशर्ते कि मौजूदा विनियमों या प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित आदेशों में संशोधन के कारण संदर्भ अंत:संयोजन प्रस्ताव में संशोधन समीचीन हो जाता है, प्रसारकों और वितरकों के लिए संशोधित संदर्भ अंत:संयोजन प्रस्ताव के अनुसार नए अंत:संयोजन करारों अथवा उनके मौजूदा करारों में उचित संशोधन पर, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।”

5. मूल विनियमों के विनियम 8 में,

(क)उप-विनियम(2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

उप-विनियमन(1) में संदर्भित, संदर्भ अंत:संयोजन प्रस्ताव में टारगेट मार्केट, प्रति माह कैरिज शुल्क की दर, संदर्भ अंत:संयोजन प्रस्ताव के प्रकाशन के समय औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार, कैरिज शुल्क की दर पर दी जाने वाली छूट, यदि कोई हो, वितरक को देय कैरिज शुल्क की गणना का तरीका संबंधित तकनीकी और वाणिज्यिक निबंधन और शर्तें सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं तथा अन्य आवश्यक शर्तें शामिल होंगी।

बशर्ते कि टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रति माह प्रति ग्राहक प्रति चैनल घोषित किए जाने वाले कैरिज शुल्क की दर पच्चीस पैसे से अधिक नहीं होगी और एक प्रसारक द्वारा टेलीविजन चैनलों के वितरक को ऐसे टेलीविजन चैनल के लिए प्रति

माह देय कुल कैरिज शुल्क, किसी भी स्थिति में पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते कि टेलीविजन चैनलों का एक वितरक अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार टेलीविजन चैनलों के लिए कैरिज शुल्क राशि की गणना करेगा, जो ऐसे टेलीविजन चैनलों के मासिक सब्सक्रिप्शन प्रतिशत में बदलाव के साथ बदल जाएगा।

(ख) उप-विनियम (8) के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते कि मौजूदा विनियमों या प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित आदेशों में संशोधन के कारण संदर्भ अंत:संयोजन प्रस्ताव में संशोधन समीचीन हो जाता है, प्रसारकों और वितरकों के लिए संशोधित संदर्भ अंत:संयोजन प्रस्ताव के अनुसार नए अंत:संयोजन करारों अथवा उनके मौजूदा करारों में उचित संशोधन पर, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।"

6. मूल विनियमों के विनियम 20 के बाद, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्----

"**(20क) प्रसारक या वितरक द्वारा इस विनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में विफल होने से निम्नलिखित परिणाम होंगे-** (1) यदि कोई प्रसारक या टेलीविजन चैनलों का वितरक, जैसा भी मामला हो, विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसके लाइसेंस अथवा अनुमति अथवा पंजीकरण, अथवा अधिनियम या नियम या विनियम या उसके तहत जारी आदेश या निर्देश के नियमों और शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूची-XI में विनिर्दिष्ट वित्तीय हतोत्साहन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, जैसा भी मामला हो, आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है:

बशर्ते कि अनुसूची-XI की तालिका-1 में समूह क के तहत उल्लिखित विनियमों के सभी उल्लंघनों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में लगाया गया अधिकतम वित्तीय हतोत्साहन, किसी भी मामले में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते कि अनुसूची-XI की तालिका-1 में समूह बी के तहत उल्लिखित नियमों के सभी उल्लंघनों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में लगाया गया अधिकतम वित्तीय हतोत्साहन, पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते कि एक कैलेंडर वर्ष में सभी उल्लंघनों के लिए सेवा प्रदाता पर लगाया गया अधिकतम वित्तीय हतोत्साहन पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा वित्तीय हतोत्साहन के भुगतान का कोई आदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रसारक या वितरक को, जैसा भी मामला हो, विनियमों के उल्लंघन के संज्ञान के विरुद्ध अभ्यावेदन का उचित अवसर न दिया गया हो:

(2) इस आदेश के तहत वित्तीय हतोत्साहन के माध्यम से देय राशि ऐसे खाते के शीर्ष में भेजी जाएगी जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

(20ख) निर्धारित समय के भीतर वित्तीय हतोत्साहन का भुगतान करने में सेवा प्रदाताओं की विफलता के परिणाम– (1) यदि कोई सेवा प्रदाता निर्धारित अवधि के भीतर विनियमन 20क तहत वित्तीय हतोत्साहन का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत (अर्थात् 1 अप्रैल) से विद्यमान, जिसमें निर्धारित अवधि का अंतिम दिन भी शामिल है, भारतीय स्टेट बैंक के एक वर्ष की सीमांत लागत उधार दर (एमसीएलआर) से 2% अधिक दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, ब्याज की गणना के उद्देश्य से महीने का एक

हिस्सा पूरे महीने के रूप में गिना जाएगा और एक महीने को अंग्रेजी कैलेंडर माह के रूप में गिना जाएगा।

7. मूल विनियमों की अनुसूची-I के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात:-

अनुसूची-I

(विनियम 8 का उप-विनियम (2) देखें)

कैरिज शुल्क राशि की गणना

अंतःसंयोजन करार की अवधि के दौरान प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए कैरिज **शुल्क राशि की गणना नीचे दिए गए अनुसार की जाएगी: -**

क्र.सं.	**कैरिज शुल्क राशि की गणना**
1.	यदि टार्गेट मार्केट में चैनल की मासिक उपभोक्ता संख्या, टार्गेट मार्केट में उस माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के बीस प्रतिशत से कम है तो कैरिज शुल्क राशि अंतःसंयोजन अनुबंध में यथा तय प्रति चैनल, प्रति माह प्रति उपभोक्ता कैरिज शुल्क की दर, टार्गेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के गुणक के बराबर होगी।
2.	यदि टार्गेट मार्केट में चैनल की मासिक उपभोक्ता संख्या, टार्गेट मार्केट में उक्त माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या के बीस प्रतिशत के बराबर या अधिक है तो कैरिज शुल्क राशि 'शून्य' के बराबर होगी।

नोट:- (1) एक माह में वितरक के सक्रिय उपभोक्ताओं की औसत संख्या की गणना इन विनियमों की अनुसूची-VII में दी गई विधि से की जाएगी।

(2) चैनल के लिए मासिक उपभोक्ता की गणना इन विनियमों की अनुसूची-VII में दी गई विधि से की जाएगी।

8. मूल विनियमों की अनुसूची-VII के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"अनुसूची VII

(विनियम 14 के उप-विनियम (1) और (3) देखें)

मासिक उपभोक्ता संख्या रिपोर्ट

क: टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रसारक को मुहैया कराये जाने वाली चैनलों और बुकों की मासिक उपभोक्ता संख्या रिपोर्ट

रिपोर्ट का महीना:_____ वर्ष:_____

क.1 चैनल या बुके के मासिक उपभोक्ताओं की गणना सारणी-1 और सारणी-2 के अनुसार, प्रत्येक माह में चार बार दर्ज उक्त चैनल या बुके, जैसा भी मामला हो, के उपभोक्ता की गणना का औसत निकाल कर की जाएगी। उपभोक्ताओं की गणना को किसी मामले के लिए दिन के 19:00 बजे से 23:00 बजे के बीच दर्ज किया जाएगा।

सारणी 1- ए-ला-कार्टे चैनलों के लिए मासिक उपभोक्ता गणना

क्र. सं.	चैनल का नाम	माह के 7वें दिन की चैनल के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 14वें दिन की चैनल के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 21वें दिन की चैनल के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 28 वें दिन की चैनल के उपभोक्ताओं की संख्या	चैनल की मासिक उपभोक्ता गणना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=[(3)+(4) + (5)+(6)]/4

1.						
2.						

सारणी 2- पे चैनलों के बुके के लिए उपभोक्ता गणना

क्र. सं.	पे चैनलों के बुके का नाम	प्रसारक के बुके के घटक चैनलों का नाम	माह के 7वें दिन बुके के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 14वें दिन बुके के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 21वें दिन बुके के उपभोक्ताओं की संख्या	माह के 28वें दिन बुके के उपभोक्ताओं की संख्या	बुके की मासिक उपभोक्ता गणना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=[(4)+(5)+(6)+(7)]/4
1.							
2.							

ख : उपभोक्ता संख्या रिपार्टे उन मामलों में, जिनमें कैरिज शुल्क का लेनदेन शामिल है।

रिपोर्ट का महीना:_____ **वर्ष:_____**

टार्गेट मार्केट:_____

ख1: चैनल वितरक के द्वारा कैरी किए जाने वाले चैनल के लिए मासिक उपभोक्ता संख्या की गणना इस अनुसूची के सारणी 1 के तरीके से की जाएगी ।

ख2: टार्गेट मार्केट में सक्रिय उपभोक्ता आधार की औसत संख्या को सारणी-3 के विधि से प्रत्येक माह में चार बार दर्ज सक्रिय उपभोक्ता आधार की संख्या का औसत निकाल कर ज्ञात किया जाएगा। नेटवर्क के सक्रिय उपभोक्ता आधार की संख्या किसी मामले के लिए दिन के 19:00 बजे से 23:00 बजे के बीच दर्ज की जाएगी।

<u>सारणी 3- टार्गेट मार्केट में एक महीने में औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार</u>

एसटीबी का प्रकार	माह के 7वें दिन सक्रिय उपभोक्ता आधार की गणना	माह के 14 वें दिन सक्रिय उपभोक्ता आधार की गणना	माह के 21 वें दिन सक्रिय उपभोक्ता आधार की गणना	माह के 28 वें दिन सक्रिय उपभोक्ता आधार की गणना	माह की सक्रिय उपभोक्ता आधार की औसत गणना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=[(2)+(3)+(4)+(5)]/4

ख3: चैनल के कैरिज शुल्क की गणना के उद्देश्य के लिए टारगेट मार्केट में स्थापित सभी सेट

टॉप बॉक्स के औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार को लिया जाएगा ।

टिप्पणी:

1. टेलीविजन चैनलों के वितरक से सब्सक्राइब की गई टेलीविजन प्रसारण सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता द्वारा इंगित स्थान पर लगे प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स में एक उपभोक्ता शामिल होगा।

2. रिपोर्टें केवल पढ़ने की अनुमति के साथ गैर-संशोधीय पीडीएफ फार्मेट में जनरेट की जाएगी।

9. मूल विनियमों की अनुसूची-X के बाद, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची XI

(*विनियम 20(क देखें)*

सारणी 1 : दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए वित्तीय हतोत्साहन की मात्रा

विनियम	**विवरण**	**वित्तीय हतोत्साहन की अधिकतम राशि (Q) (रु. में)**	
		प्रथम बार उल्लंघन करने पर	**बाद में उल्लंघन करने पर**
समूह क: कम वित्तीय हतोत्साहन के लिए विनियम			
4(3)	टेलीविजन चैनलों के वितरकों के सामान्य दायित्व	परामर्श/ चेतावनी	25,000
4(4)	टेलीविजन चैनलों के वितरकों के सामान्य दायित्व	परामर्श/ चेतावनी	25,000
7	पे चैनलों के लिए प्रसारक द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का प्रकाशन।	परामर्श/ चेतावनी	25,000
8	टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा संदर्भ	परामर्श/ चेतावनी	25,000

	अंतःसंयोजन प्रस्ताव का प्रकाशन।		
16	अधिकतम खुदरा मूल्य और चैनल की प्रकृति में परिवर्तन; इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करना जिनमें सशुल्क चैनलों के प्रसारकों द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के प्रकाशन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।	परामर्श/ चेतावनी	25,000
18(2)	इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड में चैनलों की सूची: वितरकों के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सभी टेलीविजन चैनलों को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में इस तरह से रखना कि एक शैली में किसी विशेष भाषा के सभी टेलीविजन चैनलों को एक साथ लगातार प्रदर्शित किया जाए	परामर्श/ चेतावनी	25,000
19	सेवा प्रदाताओं का विवरण	परामर्श/ चेतावनी	25,000
20	अनुपालन अधिकारी का पदनाम और उसके दायित्व।	परामर्श/ चेतावनी	25,000
समूह ख: उच्च वित्तीय हतोत्साहन के लिए विनियम			
6(1)	प्रसारकों द्वारा ए-ला-कार्टे आधार पर चैनलों की अनिवार्य पेशकश	25,000	1,00,000
18(2)	इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड में चैनलों की सूची: एक टेलीविजन चैनल केवल एक ही स्थान पर दिखाई देगा।	25,000	1,00,000
18(3)	इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम गाइड में चैनलों की सूची बनाना: वितरण नेटवर्क पर उपलब्ध प्रत्येक टेलीविजन चैनल के लिए एक	25,000	1,00,000

	विशिष्ट चैनल संख्या निर्दिष्ट करना।		
18(4)	इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम गाइड में चैनलों की सूची बनाना: किसी विशेष टेलीविजन चैनल को एक बार आवंटित गए चैनल नंबर को वितरक द्वारा इस तरह के आवंटन की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक नहीं बदला जाना चाहिए, बशर्ते कि उसमें परंतुक निहित हो।	25,000	1,00,000

क) वित्तीय हतोत्साहन लगाने के उद्देश्य से वितरण प्लेटफार्म ऑपरेटरों के मामले में वर्गीकरण: वितरकों को उनके उपभोक्ता-आधार के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा और वित्तीय हतोत्साहन की लागू राशि का निर्धारण नीचे दिए गए वितरकों की श्रेणी के आधार पर किया जाएगा (चेतावनी/ परामर्श जारी किए जाने को छोड़कर):

सारणी 2 : वितरण प्लेटफार्म ऑपरेटरों की श्रेणी और प्रत्येक श्रेणी के लिए वित्तीय हतोत्साहन

वितरक की श्रेणी	**उपभोक्ता आधार**	**लागू वित्तीय हतोत्साहन (एफडी) की राशि**
सूक्ष्म	30,000 से कम	अधिकतम एफडी राशि का 10% यानि 0.1Q
छोटा	30,000 से 1,00,000 के बीच	अधिकतम एफडी राशि का 25% यानी 0.25Q
मध्यम	1,00,000 से 10,00,000 के बीच	अधिकतम एफडी राशि का 50% यानी 0.5Q
बड़ा	10,00,000 से अधिक	अधिकतम एफडी राशि का 100% यानी Q

ख) **वित्तीय हतोत्साहन लगाने के प्रयोजन से प्रसारकों के टेलीविजन चैनलों के मामले में वर्गीकरण**: प्रसारकों के मामले में, वित्तीय हतोत्साहन का निर्धारण उन चैनलों की प्रकृति के आधार पर किया जाएगा जिनके लिए उल्लंघन देखा गया है अर्थात चाहे वह पे चैनल हो या फ्री-

टु-एयर (एफटीए) चैनल, जैसा कि नीचे दिया गया है (चेतावनी / परामर्श जारी किए जाने को छोड़कर):

सारणी 3 : प्रसारकों के लिए वित्तीय हतोत्साहन

निम्न के संबंध में उल्लंघन	**एफडी की राशि**
एफटीए चैनल	अधिकतम एफडी राशि का 50% यानी 0.5Q
पे चैनल	अधिकतम एफडी राशि का 100% यानी Q

ग) अनुसूची-XI की सारणी-1 में समूह ख के अंतर्गत उल्लिखित विनियमों के तीन से अधिक उल्लंघनों के मामले में, नवीनतम उल्लंघन की तारीख से तीन वर्षों के ब्लॉक में प्राधिकरण ऊपर उल्लिखित वित्तीय हतोत्साहन लगाने के अलावा, केन्द्र सरकार को भादूविप्रा अधिनियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उचित कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है।

घ) एक प्रावधान के निरंतर उल्लंघन के मामले में यानी एक उल्लंघन जिसे प्राधिकरण द्वारा इसके सुधार के लिए दी गई समय-सीमा के भीतर ठीक नहीं किया जाता है, तो अनुपालन के आदेश में पहले से ही निर्दिष्ट वित्तीय हतोत्साहन के अलावा, पहले तीस दिनों के लिए प्रति दिन दो हजार रुपये और तीस दिनों से अधिक दिनों के लिए प्रति दिन पांच हजार रुपये का वित्तीय हतोत्साहन लगाया जाएगा, जिसकी गणना आदेश में निर्दिष्ट अनुपालन की अंतिम तारीख से की जाएगी।

ङ) इस अनुसूची में निहित कुछ भी, विनियम 15 के उप-विनियम(1ए) और विनियम 4क के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगा।

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा

टिप्पणी 1---- मूल विनियमन अधिसूचना संख्या 21-4/2016-बीएंडसीएस दिनांक 03 मार्च 2017 (2017 का 1) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पणी 2---- मूल नियमों को अधिसूचना संख्या 21-6/2019-बीएंडसीएस दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 (2019 का 7) के माध्यम से संशोधित किया गया।

टिप्पणी 3---- प्रमुख नियमों को अधिसूचना संख्या 21-5/2019-बीएंडसीएस दिनांक 01 जनवरी, 2020 (2020 का 1) के माध्यम से आगे संशोधित किया गया।

टिप्पणी 4---- प्रमुख नियमों को अधिसूचना संख्या आरजी-1/2/(3)/2021-बीएंडसीएस(2) दिनांक 11 जून, 2021 (2021 का 1) के माध्यम से आगे संशोधित किया गया।

टिप्पणी 5---- प्रमुख नियमों को अधिसूचना संख्या आरजी-1/2/(2)/2022-बीएंडसीएस (2) दिनांक 22 नवंबर, 2022 (2022 का 2) के माध्यम से आगे संशोधित किया गया।

टिप्पणी 6---- प्रमुख विनियमों को अधिसूचना संख्या आरजी-1/2/(2)/2022- बीएंडसीएस (2) दिनांक 14 सितंबर, 2023 (2023 का 4) के माध्यम से आगे संशोधित किया गया।

टिप्पणी 7---- व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (छठा संशोधन) विनियम, 2024 (2024 का 4) के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

परिचय और पृष्ठभूमि

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(भादूविप्रा) ने प्रसारण एवं केबल टीवी क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए परामर्श प्रक्रिया के पश्चात दिनांक 03 मार्च, 2017 को नए विनियामक ढांचे को अधिसूचित किया। भारत में केबल टीवी नेटवर्क के पूर्ण डिजिटलीकरण के कारण यह आवश्यक हो गया था। ढांचे में निम्नलिखित टैरिफ आदेश और विनियम शामिल हैं:

   i. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 (टैरिफ आदेश 2017);
   ii. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (अंतःसंयोजन विनियम, 2017);
   iii. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017) ।

   इसके बाद, उपरोक्त दो विनियमों और टैरिफ आदेश को सामूहिक रूप से 'ढांचे' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

2. हालाँकि, कानूनी चुनौतियों के कारण प्रस्तावित समय-सीमा के अनुसार ढांचे को लागू नहीं किया जा सका। माननीय उच्च न्यायालय मद्रास और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी जांच से गुजरने के बाद, 'ढांचे' दिनांक 29 दिसंबर, 2018 से प्रभावी हुआ। सामूहिक रूप से तीन निर्धारणों ने इस क्षेत्र के लिए विनियामक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया। क्षेत्र के आकार तथा संरचना और 'ढांचे' में आने वाले परिवर्तनों को देखते हुए, यह स्वाभाविक था कि कुछ अस्थायी समस्याएँ हो सकती हैं।
3. ढांचे 2017 के कार्यान्वयन के दौरान सामने आए मुद्दों के समाधान के लिए, प्राधिकरण ने उचित परामर्श के बाद दिनांक 01 जनवरी, 2020 को विनियामक ढांचे 2017 में निम्नलिखित संशोधनों को अधिसूचित किया। भादूविप्रा ने दिनांक 01 जनवरी, 2020 को विनियामक ढांचे 2017 में निम्नलिखित संशोधनों को अधिसूचित किया:

क. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश, 2017 (टैरिफ संशोधन आदेश 2020)

ख. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल प्रणालिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 (अंतर्संयोजन संशोधन विनियम, 2020)

ग. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 (सेवा की गुणवत्ता संशोधन विनियम, 2020)

इसके बाद, उपरोक्त संशोधनों को सामूहिक रूप से 'संशोधित ढांचे 2020' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

4. कुछ हितधारकों ने संशोधन ढांचे 2020 को चुनौती दी। नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ), मल्टी टीवी घरों के लिए एनसीएफ और दीर्घकालिक सब्सक्रिप्शन से संबंधित संशोधित ढांचे 2020 के प्रावधानों को ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) और अन्य ने केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हालांकि, इन्हें केरल के माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के बाद अप्रैल 2020 में विधिवत लागू किया गया था। दिनांक 12 जुलाई, 2021 के अपने अंतिम फैसले में, माननीय उच्च न्यायालय ने टैरिफ संशोधन आदेश, 2020 द्वारा पेश किए गए संशोधनों को बरकरार रखा।
5. इसके साथ ही, कुछ प्रसारकों और अन्य हितधारकों ने रिट याचिका (एल) संख्या 116/2020 और उससे जुड़े अन्य मामलों के माध्यम से माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में टैरिफ संशोधन आदेश 2020, अंतर्संयोजन संशोधन विनियम 2020 और क्यूओएस संशोधन विनियम 2020 के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी।
6. माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 30 जून, 2021 के अपने निर्णय के माध्यम से टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के खंड 3 के उप-खंड (3) के तीसरे प्रावधान में प्रदान की गई औसत परीक्षण की शर्त को छोड़कर संशोधित ढांचा 2020 की वैधता को बरकरार रखा।
7. बॉम्बे उच्च न्यायालय के याचिकाकर्ताओं ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएँ (एसएलपी) दायर कीं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे के दिनांक 30 जून, 2021 के निर्णय को चुनौती दी गई। इस मामले की सुनवाई माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2021 को की गई। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई।

8. इसके बाद दिनांक 15 फरवरी, 2022 को याचिकाकर्ताओं ने एसएलपी वापस लेने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा प्रस्तुत किया। उसी दिन माननीय न्यायालय ने एसएलपी वापस लेने की अनुमति प्रदान की और निम्नलिखित आदेश[1] पारित किया:
"विशेष अनुमति याचिकाएं वापस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं। कानून के सभी प्रश्न खुले रखे गए हैं।"

9. इस बीच, यह देखते हुए कि माननीय बॉम्बे कोर्ट के फैसले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई थी, प्राधिकरण ने दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 को सभी प्रसारकों को एक पत्र जारी किया, जिसमें माननीय बॉम्बे कोर्ट द्वारा बरकरार रखे गए संशोधित ढांचा 2020 के प्रावधानों का 10 दिनों के भीतर अनुपालन करने के लिए कहा गया । परिणामस्वरूप, अधिकांश प्रसारकों ने 'संशोधित ढांचा 2020' के अनुपालन में भादूविप्रा को अपने रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआईओ) प्रस्तुत किए और नवंबर, 2021 में इन्हें अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित भी किया।

10. प्रमुख प्रसारकों द्वारा घोषित नए टैरिफ में एक सामान्य प्रवृत्ति परिलक्षित हुई, अर्थात, खेल चैनलों सहित उनके सबसे लोकप्रिय चैनलों की कीमतें 20 रुपये प्रति माह से अधिक बढ़ा दी गईं। बुके में पे चैनलों को शामिल करने के संबंध में मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, 12 रुपये (प्रति माह) से अधिक कीमत वाले सभी चैनलों को बुके से बाहर रखा गया और केवल ए-ला-कार्टे आधार पर पेश किया गया। दायर किए गए संशोधित आरआईओ ने लगभग सभी पेश किए जा रहे बुके की संरचना में व्यापक पैमाने पर बदलाव का संकेत दिया।

11. नए टैरिफ घोषित होने के तुरंत बाद, भादूविप्रा को वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ), स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के संघों और उपभोक्ता संगठनों से ज्ञापन प्राप्त हुए। डीपीओ ने अपने आईटी सिस्टम में नई दरों को लागू करने और विकल्पों के सूचित प्रयोग के माध्यम से उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में नई टैरिफ व्यवस्था में स्थानांतरित करने में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को भी उजागर किया, जिसका असर लगभग सभी बुके

[1] https://main.sci.gov.in/supremecourt/2021/15611/15611_2021_2_11_33436_Order_15-Feb-2022.pdf

पर पड़ा, क्योंकि प्रसारकों द्वारा घोषित पे चैनलों और बुके की दरों में ऊपर की ओर संशोधन किया गया।

12. अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए, भादूविप्रा ने औपचारिक/अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से हितधारकों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। चर्चा का उद्देश्य संशोधित ढांचे 2020 के लंबित प्रावधानों के सुचारू कार्यान्वयन को सुगम बनाना था। भादूविप्रा पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व था कि पे टेलीविज़न सेवाओं में कोई बड़ी बाधा न आए।

13. एलसीओ के अभ्यावेदनों ने फ्री डिश (डिश एंटीना की स्थापना को छोड़कर उपभोक्ताओं के लिए कोई लागत नहीं) और वीडियो ऑन डिमांड (वीओडी), जिसे ओटीटी (ओवर-द-टॉप) सेवाओं के रूप में जाना जाता है, की बढ़ती लोकप्रियता के कारण लीनियर टीवी की सब्सक्रिप्शन पर प्रतिकूल प्रभाव को भी उजागर किया। उपभोक्ता संगठनों ने प्रसारकों द्वारा दायर प्रस्तावित आरआईओ के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप लोकप्रिय चैनलों की कीमत में वृद्धि के कारण उनकी सब्सक्रिप्शन में संभावित वृद्धि को उजागर किया।

14. उपरोक्त के मद्देनजर, हितधारकों ने भादूविप्रा से दर्शकों की संख्या सहित क्षेत्र के विकास की सुरक्षा के लिए विनियामक ढांचे के लंबित प्रावधानों के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्दों को हल करने के लिए तत्काल उपाय करने का अनुरोध किया।

15. लगभग सभी हितधारकों ने कहा कि प्रसारकों द्वारा घोषित टैरिफ उपभोक्ताओं की पेशकश में बड़े पैमाने पर बदलाव लाएंगे। डीपीओ/एलसीओ को संभवतः प्रत्येक उपभोक्ता से संशोधित विकल्प प्राप्त करने होंगे। हितधारकों ने भादूविप्रा से संशोधित ढांचे 2020 के सुचारू कार्यान्वयन को सक्षम करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि उपभोक्ताओं के लिए संभावित व्यवधान से बचने के लिए, संशोधित ढांचे 2020 के कुछ प्रावधानों में संशोधन पर विचार किया जा सकता है।

16. नए विनियामक ढांचे 2020 के लंबित कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और आगे का रास्ता सुझाने के लिए, भादूविप्रा के तत्वावधान में भारतीय प्रसारण और डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ), अखिल भारतीय डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) और डीटीएच एसोसिएशन के सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया था। समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार थे:

1. उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए विनियामक ढांचे 2020 के सुचारू कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर विचार करना तथा उसके लिए उपाय सुझाना (यदि कोई हो)।
2. चिंता संबंधी मुद्दों की पहचान करना तथा प्रसारण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उपाय सुझाना।

17. समिति का उद्देश्य टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक आम सहमति वाले मार्ग पर आने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच एक मंच प्रदान करना और चर्चा को सुविधाजनक बनाना था। हितधारकों को उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम व्यवधान या परेशानी के साथ कार्यान्वयन योजना के साथ आने का सुझाव दिया गया था।

18. समिति ने दिनांक 23 दिसंबर, 2021 को विचार-विमर्श किया। हितधारकों ने निम्नलिखित मुद्दों को सूचीबद्ध किया, जिनकी उनकी राय में समीक्षा की आवश्यकता है:

क. एनटीओ 2.0 टैरिफ आदेशों के अनुपालन में प्रस्तुत अपने आरआईओ के माध्यम से प्रसारकों द्वारा प्रस्तावित टैरिफ उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण बनेंगे। उपभोक्ता मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो, को एक उचित सीमा तक सीमित किया जाना आवश्यक है।

ख. प्रसारकों द्वारा प्रस्तावित आरआईओ पैकेजों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, विशेष रूप से लोकप्रिय चैनलों को उच्च ए-ला-कार्टे कीमतों पर रखने के कारण, जो कि बुके का हिस्सा नहीं हैं। यह डीपीओ को बहुत बड़ी संख्या में प्लान और पैकेज ऑफर करने के लिए बाध्य करता है। इसलिए, डीपीओ को प्रसारकों से समर्थन की आवश्यकता है ताकि उन्हें बड़ी संख्या में प्लान/बुके न बनाने पड़ें।

ग. ऊपर वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओं द्वारा विकल्पों का प्रयोग करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है ताकि स्पष्ट सहमति के बिना उपभोक्ताओं को कोई भी चैनल प्रदान न किया जाए। उपभोक्ताओं को किसी भी चैनल को हटाने की सुविधा होनी चाहिए।

घ. एक ही उत्पाद (टेलीविजन चैनल) को एक ही कीमत पर पेश किया जाना चाहिए, चाहे वह लीनियर टेलीविजन हो, फ्री डिश हो या सब्सक्रिप्शन आधारित वीडियो ऑन डिमांड।

ङ. हितधारकों ने सुझाव दिया कि हालांकि एनटीओ 2.0 संशोधनों के बाद से दो साल से अधिक समय बीत चुका है और एनटीओ 1.0 कार्यान्वयन के साथ तीन साल से अधिक समय बीत चुका है, तब से, बुके या ए-ला-कार्टे चैनलों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

हुआ है। इसने अंतिम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करने के मामले में उद्योग को तनाव में रखा है। ऐसे में बुके समावेशन के लिए एमआरपी की अधिकतम सीमा को बिना संशोधित टैरिफ आदेश स्तर उन्नीस (19/-) पर बहाल करना उचित होगा।

च. उपरोक्त प्रावधान से यह सुनिश्चित करके बुके संरचना को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी कि सभी लोकप्रिय चैनल बुके की अधिकतम सीमा के भीतर हों। इसके अतिरिक्त, इससे उपभोक्ताओं को नए टैरिफ के तहत अपनी पसंद का चयन करने में न्यूनतम परेशानी होगी, क्योंकि अधिकांश टैरिफ अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रह सकते हैं।

छ. बुके के लिए डीपीओ को अतिरिक्त पंद्रह (15%) प्रतिशत प्रोत्साहन की अनुमति देना, जैसा कि ए-ला-कार्टे चैनल के लिए प्रदान किया गया है (अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उक्त प्रावधान इंटरकनेक्शन विनियमों से संबंधित है और टैरिफ ऑर्डर का हिस्सा नहीं है)।

ज. बुके का हिस्सा बनने वाले ए-ला-कार्टे पे चैनलों के एमआरपी के योग पर छूट को बढ़ाकर पचास प्रतिशत करने के लिए दूसरी दोहरी शर्त की समीक्षा की जा सकती है। इससे प्रसारकों को पैकेजों को क्रॉस-सब्सिडी देने में मदद मिलेगी।

झ. 130/- रुपये की नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) की अधिकतम सीमा में संशोधन।

ञ. मल्टी-टीवी घरों के मामले में, प्रसारकों को पहले टीवी कनेक्शन के बाद प्रत्येक अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए अपने चैनलों की एमआरपी भी पहले टीवी कनेक्शन के लिए घोषित एमआरपी के 40% की दर से देनी चाहिए। इससे उपभोक्ताओं को कई टेलीविजन पर पे चैनल सब्सक्राइब करने की लागत बचाने में मदद मिलेगी।

ट. डीपीओ के लिए उपलब्ध उस बुके के एमआरपी के ए-ला-कार्टे चैनलों की राशि पर छूट की पंद्रह प्रतिशत (15%) की सीमा की समीक्षा।

ठ. हितधारकों ने सुझाव दिया कि भादूविप्रा को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने चाहिए और दिनांक 01 अप्रैल 2022 तक संशोधित टैरिफ लागू करना चाहिए। उपस्थित सभी डीपीओ ने जोर देकर कहा कि नए टैरिफ को ठीक से लागू करने के लिए उन्हें निर्धारित समय की आवश्यकता होगी।

19. हालांकि, हितधारकों की समिति ने भादूविप्रा से महत्वपूर्ण मुद्दों का तुरंत समाधान करने का अनुरोध किया ताकि टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के कार्यान्वयन में उपभोक्ताओं को कम से कम कठिनाई हो। हितधारकों ने भादूविप्रा द्वारा बाद में विचार के लिए अन्य मुद्दों को भी सूचीबद्ध किया। हितधारकों की समिति के सभी सदस्यों ने पाया कि सुचारू संक्रमण का प्रबंधन करने और उपभोक्ताओं को असुविधा से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

20. हितधारकों की समिति द्वारा पहचाने गए मुद्दों को हल करने के लिए; भादूविप्रा ने दिनांक 07 मई 2022 को 'प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे से संबंधित मुद्दों' पर परामर्श पत्र जारी किया, ताकि 'संशोधित ढांचे 2020' के कार्यान्वयन के लिए लंबित बिंदुओं/मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी जा सकें।

21. तत्पश्चात, दिनांक 22 नवंबर 2022 को प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2022 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (एड्रेसेबल सिस्टम) अंतर्संयोजन विनियम (चौथा संशोधन) आदेश, 2022 को अधिसूचित किया, जिसमें निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं:

    क. टीवी चैनलों की एमआरपी पर रियायत जारी रहेगी।

    ख. बुके में शामिल करने के लिए टीवी चैनल की एमआरपी पर 19 रुपये की अधिकतम सीमा तय की जाएगी।

    ग. बुके बनाते समय अलग-अलग चैनलों की कीमत के योग पर 45% की छूट दी जाएगी।

    घ. बुके पर ब्रॉडकास्टर द्वारा 15% का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

22. हितधारकों की समिति ने भादूविप्रा द्वारा बाद में विचार के लिए कई अन्य मुद्दों को भी सूचीबद्ध किया। इसके अलावा, प्राधिकरण ने प्रसारकों, एमएसओ, डीटीएच ऑपरेटरों और एलसीओ के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कीं। प्रस्तावित परामर्श पत्र में शामिल करने के लिए इन बैठकों के दौरान कई मुद्दे सामने रखे गए।

23. हितधारकों की समिति द्वारा पहचाने गए और अन्य हितधारकों द्वारा सुझाए गए प्रसारण और केबल सेवाओं के टैरिफ, इंटरकनेक्शन और सेवा की गुणवत्ता से संबंधित शेष मुद्दों को संबोधित करने के लिए, भादूविप्रा ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए दिनांक 08

अगस्त, 2023 को “प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा”पर परामर्श पत्र जारी किया। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों को भादूविप्रा की वेबसाइट पर रखा गया। इसके बाद दिनांक 18 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में एक ओपन हाउस चर्चा हुई।

24. जहां तक प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए इंटरकनेक्शन से संबंधित मुद्दों का सवाल है, प्राधिकरण ने मोटे तौर पर निम्नलिखित मुद्दों को परामर्श के लिए रखा था:

    क. रेफरेंस इंटरकनेक्शन प्रस्ताव में संशोधन

    ख. इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) में चैनलों की सूची - ईपीजी में भाषा शैली की समस्या

    ग. एलसीओ और एमएसओ के बीच राजस्व हिस्सेदारी

    घ. कैरिज शुल्क

    ङ. मौजूदा इंटरकनेक्शन समझौते की समाप्ति के बाद डीपीओ के प्लेटफॉर्म से एक चैनल को हटाना

25. दिनांक 08 अगस्त 2023 के उपरोक्त परामर्श पत्र और इन-हाउस विश्लेषण के जवाब में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (छठा संशोधन) विनियम, 2024 (इसके बाद इसे "छठे संशोधन विनियम" के रूप में जाना जाएगा) को अंतिम रूप दे दिया है। बाद के पैराग्राफ छठे संशोधन विनियम के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करते हैं।

रेफरेंस इंटरकनेक्शन प्रस्ताव में संशोधन

26. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 दिनांक 03 मार्च 2017 (इसके बाद इसे "इंटरकनेक्शन विनियमन 2017" कहा जाएगा) के विनियम 7 के उप-विनियम 9 के अनुसार, आरआईओ में संशोधन की स्थिति में, एक ब्रॉडकास्टर को पुराने इंटरकनेक्शन समझौते (आईए) को जारी रखने या नए आईए में प्रवेश करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) को चयन करने का अधिकार है, जिनके साथ उसका इंटरकनेक्शन समझौता है। विनियम 7 का उप-विनियम 9 नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"(9) उप-विनियमन (8) के तहत एक ब्रॉडकास्टर द्वारा संदर्भ इंटरकनेक्शन प्रस्ताव में किसी भी संशोधन की स्थिति में, ब्रॉडकास्टर उन सभी वितरकों को एक विकल्प देगा, जिनके साथ उसने तीस दिनों के भीतर लिखित इंटरकनेक्शन समझौते किए हैं। इस तरह के संशोधन की तारीख और ऐसे वितरकों के लिए इस तरह के विकल्प की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर संशोधित संदर्भ इंटरकनेक्शन प्रस्ताव के अनुसार नए इंटरकनेक्शन समझौते में प्रवेश करने या मौजूदा इंटरकनेक्शन समझौते को जारी रखने की अनुमति होगी।

27. इसी तरह, इंटरकनेक्शन विनियमन, 2017 के रेगुलेशन 8 (8) में निम्नलिखित का उल्लेख है:

"(8) उप-विनियमन (7) के तहत टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा संदर्भ इंटरकनेक्शन प्रस्ताव में किसी भी संशोधन की स्थिति में, वितरक को ऐसे संशोधन की तारीख से तीस दिनों के भीतर उन सभी प्रसारकों को एक विकल्प दिया जाएगा, जिनके साथ उसने लिखित इंटरकनेक्शन समझौते किए हैं और ऐसे प्रसारकों को संशोधित संदर्भ के अनुसार नए इंटरकनेक्शन समझौते में प्रवेश करने की अनुमति होगी। ऐसे विकल्प की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर इंटरकनेक्शन की पेशकश करें या मौजूदा इंटरकनेक्शन समझौतों को जारी रखें।"

28. भादूविप्रा के साथ बैठक में, कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया था कि आरआईओ में संशोधन की स्थिति में, अन्य पार्टियों को पुराने इंटरकनेक्शन समझौते (आईए) को जारी रखने या नए आईए में प्रवेश करने का विकल्प नहीं दिया जा सकता है।

29. तदनुसार, प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा पर दिनांक 08 अगस्त 2023 के परामर्श पत्र (इसके बाद "सीपी" के रूप में संदर्भित) में, परामर्श के लिए मुद्दों में से एक इस प्रकार था:

"प्रश्न 14. प्रसारक द्वारा आरआईओ में संशोधन के मामले में, मौजूदा प्रावधान डीपीओ को असंशोधित आरआईओ समझौते को जारी रखने का विकल्प प्रदान करता है। क्या यह विकल्प डीपीओ के लिए उपलब्ध रहना चाहिए?

क. यदि हां, तो विभिन्न डीपीओ द्वारा टेलीविजन चैनलों के अलग-अलग मूल्य निर्धारण के मुद्दे को कैसे संबोधित किया जाएगा?

ख. यदि नहीं, तो डीपीओ के व्यवसाय निरंतरता के हित की रक्षा कैसे की जानी चाहिए?"

30. इसके जवाब में, कई हितधारकों ने कहा कि डीपीओ के पास असंशोधित आरआईओ करार को जारी रखने का विकल्प होना चाहिए। इन हितधारकों ने राय दी कि मौजूदा आरआईओ को चुनने या नए में परिवर्तन करने का लचीलापन डीपीओ के पास होना चाहिए। इनमें से कई हितधारकों की राय थी कि अनुबंध अधिनियम के अनुसार, निष्पादित समझौतों में किया जाने वाला कोई भी संशोधन दोनों पक्षों की सहमति से होना चाहिए और नए समझौते में बदलाव को अनिवार्य करने से डीपीओ के लिए अस्थिरता और अप्रत्याशितता आ सकती है। परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त विचारों में से एक यह था कि प्रसारकों द्वारा शुरू किए गए किसी भी बदलाव के मामले में डीपीओ को अपने लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह डीपीओ के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है और इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

31. इसके अलावा, कुछ हितधारकों ने कहा कि मानक आरआईओ को भादूविप्रा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, जैसे कि केबल लैंडिंग स्टेशन के एमआईए/एसआईए रियो, आदि, ताकि प्रत्येक डीपीओ को समान नियम और शर्तों पर टीवी चैनल मिल सकें। इसके अलावा, एक हितधारक ने कहा कि सभी आरआईओ सभी खिलाड़ियों के लिए मानक होने चाहिए, और एक वर्ष की वैधता के साथ एक सामान्य आरंभ और समाप्ति तिथि बेहतर विचार होगा।

32. हितधारकों के एक अन्य समूह ने सुझाव दिया कि डीपीओ को पुराने आरआईओ को जारी रखने का विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए। इनमें से कई हितधारकों ने कहा कि डीपीओ द्वारा बिना संशोधित आरआईओ समझौते को जारी रखने से बाजार में ऐसी स्थिति पैदा होती है, जिसमें एक ही समय में एक प्रसारक के दो अलग-अलग आरआईओ बाजार में सह-अस्तित्व में रहते हैं, जो वांछनीय नहीं है। एक एसोसिएशन ने कहा कि प्रसारकों द्वारा आरआईओ में संशोधन किए जाने की स्थिति में, डीपीओ को एकरूपता बनाए रखने और उपभोक्ताओं तक समान लाभ पहुँचाने को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से संशोधित आरआईओ को अपनाना चाहिए। एक हितधारक ने आगे कहा कि यदि कोई पक्ष नया समझौता करने में विफल रहता है तो विनियमन में ऐसे समझौतों के स्वत: नवीनीकरण का प्रावधान होना चाहिए।

33. इसके अलावा एक हितधारक ने कहा कि डीपीओ को नए आरआईओ पर माइग्रेट किया जाना चाहिए और डीपीओ के स्तर पर परिचालन संबंधी जटिलता को रोकने के लिए, सभी प्रसारकों को कम से कम छह महीने के अंतराल के साथ वर्ष में दो बार अपने आरआईओ को बदलने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, अपने किसी भी चैनल को बंद करने या नया चैनल शुरू करने की स्थिति में, प्रसारकों को संशोधित आरआईओ के साथ आने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।क अन्य हितधारक ने आगे कहा कि अंतिम उपभोक्ता के हित में और व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि डीपीओ को परिवर्तन के प्रभावी होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर संशोधित आरआईओ पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

34. कुछ हितधारकों ने उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के लाभ के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार शक्तियों को काम करने की अनुमति देने के लिए क्षेत्र के अविनियमन का सुझाव दिया। इन हितधारकों ने प्रसारक और डीपीओ के बीच बाजार संचालित समझौतों के निष्पादन की सिफारिश की। उन्होंने आगे कहा कि, प्रसारक द्वारा आरआईओ में संशोधन के मामले में, डीपीओ को संशोधित आरआईओ में संक्रमण करने की आवश्यकता होनी चाहिए, जब तक कि पूरे क्षेत्र का अविनियमन न हो जाए। हितधारकों में से एक ने कहा कि इस तरह के अविनियमन से भादूविप्रा को सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा, क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में अपने नियामक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा, एक विनियमन रहित वातावरण में ऐसे मुद्दों पर कदाचार का प्रबंधन करने के लिए, उन्होंने अनुशंसा की कि: (i) भादूविप्रा क्षमता का निर्माण करे और विशेषज्ञों की एक टीम तैयार करके अपनी संबंधित इन-हाउस विशेषज्ञता को बढ़ाए; (ii) विशिष्ट लक्षित बाजार/भौगोलिक क्षेत्र में अविश्वास या प्रतिस्पर्धा के मुद्दों से संबंधित किसी भी आरोप या शिकायत की जांच भादूविप्रा द्वारा की जा सकती है; (iii) यदि किसी प्रकार के कदाचार का साक्ष्य मिलता है, तो भादूविप्रा पूरे उद्योग पर लागू होने वाले विनियमों के बजाय इन विशिष्ट क्षेत्रों में प्रभावित पक्षों के लिए विशिष्ट उपचारात्मक उपाय लागू कर सकता है; और (iv) ऐसे उपचारात्मक उपाय तब हटा दिए जाएंगे जब दिए गए क्षेत्र में प्रभावी प्रतिस्पर्धा बहाल हो जाएगी।

35. एक हितधारक ने कहा कि आरआईओ की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए तथा इसे प्रसारकों और डीपीओ पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रसारण उद्योग को साहसिक सुधारों तथा पूर्ण सहनशीलता की आवश्यकता है, जो उद्योग के मूल सिद्धांतों को बहाल करेगा तथा दीर्घकालिक व्यवहार्यता, स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता को सक्षम करेगा, न कि किसी अन्य व्यवधान को रोकने के लिए क्षणिक या त्वरित समाधान। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि प्रसारक द्वारा आरआईओ में संशोधन किए जाने की स्थिति में, बिना संशोधित आरआईओ समझौते को जारी रखने में सक्षम होने का विकल्प डीपीओ को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अलावा, भादूविप्रा को प्रसारक और डीपीओ के बीच करार पर हस्ताक्षर के लिए न्यूनतम वैधता अवधि तय करनी चाहिए। यदि प्रसारक मौजूदा आरआईओ में संशोधन करना चाहते हैं, तो भादूविप्रा प्रसारकों को न्यूनतम 90 दिनों का उचित नोटिस देने के लिए भी बाध्य कर सकता है।

36. परामर्श पत्र में सुझाव के लिए एक मुद्दा इस प्रकार था:

"*प्रश्न 15. कभी-कभी, मौजूदा विनियम/टैरिफ आदेश में संशोधन के कारण आर.आई.ओ. में संशोधन समीचीन हो जाता है। क्या आर.आई.ओ. के ऐसे संशोधन को अलग तरीके से माना जाना चाहिए? कृपया विस्तार से बताएं और अपनी टिप्पणी के लिए पूरा औचित्य प्रदान करें।*"

37. इसके जवाब में, अधिकांश हितधारकों ने कहा कि आरआईओ में इस तरह के संशोधन को अलग तरीके से माना जाना चाहिए। उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि जहां मौजूदा विनियम या टैरिफ आदेश में संशोधन के कारण आरआईओ में बदलाव की आवश्यकता है, वहां प्रसारकों और डीपीओ के बीच एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, जिसमें केवल मौजूदा आरआईओ के खंडों को संशोधित किया जाएगा, जो मौजूदा आरआईओ का एक हिस्सा होगा और मौजूदा आरआईओ के साथ संगत होगा। कुछ हितधारकों ने कहा कि जिन ग्राहकों ने दीर्घकालिक पैक का लाभ उठाया है, उनके लिए सेवा का प्रावधान और आरआईओ में कोई भी संशोधन मौजूदा विनियम/टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुसार होना चाहिए और दीर्घकालिक पैक ग्राहकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

38. किसी एक हितधारक ने कहा कि भादूविप्रा विनियमों में संशोधन के परिणामस्वरूप आरआईओ में संशोधन को ब्रॉडकास्टर/डीपीओ द्वारा प्रेरित संशोधनों की तुलना में अलग तरीके से माना जाना चाहिए, क्योंकि आरआईओ में भादूविप्रा द्वारा प्रेरित संशोधन

आमतौर पर परामर्श से पहले किए जाते हैं, हालांकि, जहां तक संभव हो, ऐसे परिदृश्य में आरआईओ में संशोधन केवल भादूविप्रा द्वारा जारी किए गए संशोधन की सीमा तक ही होना चाहिए।

39. एक एसोसिएशन ने कहा कि यदि मौजूदा विनियम/टैरिफ आदेश (कानून में बदलाव) में संशोधन के कारण आरआईओ में संशोधन समीचीन हो जाता है, तो यह सुनिश्चित और अनिवार्य करना आवश्यक है कि आरआईओ में ऐसा संशोधन मौजूदा आरआईओ पर आधारित इंटरकनेक्शन समझौतों की अंतिम तिथि/समाप्ति तिथि में हस्तक्षेप न करें।

40. परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त विचारों में से एक यह था कि जब भी विनियामक ढांचे में बदलाव के कारण आरआईओ में कोई बदलाव आवश्यक हो, तो यह समीचीन है कि ऐसे बदले हुए आरआईओ पर सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा नियामक द्वारा डी गई समयसीमा के अनुसार हस्ताक्षर किए जाएं।

41. कुछ हितधारकों ने कहा कि संशोधित आरआईओ पर पिछले आरआईओ की समाप्ति तिथि में कोई बदलाव किए बिना डीपीओ द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इसके अलावा, एक हितधारक ने उल्लेख किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्तमान और पिछले विनियमों के साथ कोई ओवरलैपिंग न हो, नए विनियमों को मूल विनियमों से जोड़ा जाना चाहिए।

42. इस दौरान एक हितधारक ने सुझाव दिया कि ऐसी स्थितियों में, प्राधिकरण द्वारा डीपीओ को एक उचित समय अवधि, यानी कम से कम छह महीने का समय प्रदान करने के लिए विचार करना चाहिए और निर्देश देना चाहिए, जिसके भीतर संशोधन को लागू किया जा सके। छह महीने की समय-सीमा उस तारीख से शुरू होनी चाहिए, जिस दिन प्रसारणकर्ता अपनी नई कीमतें प्रकाशित करता है। इसके अलावा, एक अन्य हितधारक ने प्रस्तुत किया कि डीपीओ को इसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और संशोधन दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किया जाना चाहिए।

43. एक हितधारक ने कहा कि भादूविप्रा को बहुत अधिक विनियामक शर्तें लगाने से बचना चाहिए और इसके बजाय सहनशीलता की ओर बढ़ना चाहिए। एक अन्य हितधारक ने सुझाव दिया कि यदि विनियमों में परिवर्तन के कारण संशोधन किया जाना है, तो संशोधन की समाप्ति तिथि मौजूदा आरआईओ के साथ समाप्त होगी।

44. परामर्श पत्र में सुझाव हेतु एक मुद्दा इस प्रकार था:

"प्रश्न 16. क्या यह अनिवार्य होना चाहिए कि प्रसारक या डीपीओ द्वारा जारी किए गए किसी भी आरआईओ की वैधता 1 वर्ष के लिए हो सकती है और सभी इंटरकनेक्शन समझौते हर वर्ष दिनांक 31 दिसंबर को एक समान तारीख पर समाप्त हो सकते हैं। कृपया अपने उत्तर को उचित ठहराएँ।"

45. इसके जवाब में, कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि किसी प्रसारक या डीपीओ द्वारा जारी किसी भी आरआईओ की वैधता 1 वर्ष के लिए हो सकती है और सभी इंटरकनेक्शन समझौते हर साल एक ही तिथि यानी 31 दिसंबर को समाप्त हो सकते हैं। एक हितधारक ने आगे कहा कि ग्राहकों के दृष्टिकोण से, आरंभिक तिथि और समाप्ति तिथि के साथ समान वैधता बेहतर होगी क्योंकि इससे ग्राहकों को प्रत्येक प्रसारक के लिए कई बदलाव करने के बजाय सभी प्रसारकों के लिए एक बार में मूल्य निर्धारण/पैक संरचना में संशोधन करने की अनुमति मिलेगी। एक एसोसिएशन ने कहा कि मौजूदा प्रावधान के तहत आरआईओ की वैधता एक वर्ष निर्धारित करना उचित है, हालांकि, कोई और शर्तें निर्धारित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे क्षेत्र का सूक्ष्म प्रबंधन होगा, जिसे बाजार की शक्तियाँ के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए।

46. तथापि, कुछ हितधारकों ने राय दी कि आरआईओ की वैधता आरआईओ पर हस्ताक्षर करने की तिथि/आरंभ तिथि से इतर एक सामान्य तिथि पर अंतिम/समाप्त तिथि होनी चाहिए तथा एक सामान्य समाप्ति तिथि होनी चाहिए जिसे अधिमानतः प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के रूप में रखा जाना चाहिए। एक हितधारक ने आगे अनुरोध किया कि डीपीओ के स्तर पर परिचालन संबंधी जटिलता को रोकने के लिए, सभी प्रसारकों को अधिकतम छह महीने के अंतराल के साथ वर्ष में दो बार अपना आरआईओ बदलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

47. एक हितधारक ने राय दी कि प्रत्येक मामले में एक साथ 1 वर्ष की न्यूनतम वैधता सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सकता है क्योंकि सभी समझौतों को एक ही तिथि पर निष्पादित नहीं किया जा सकता है, साथ ही ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जहां नए समझौते वर्ष के मध्य में निष्पादित किए जाते हैं। प्राधिकरण को न्यूनतम वैधता अवधि निर्धारित किए बिना सभी समझौतों की समान समाप्ति तिथि रखने पर जोर देना चाहिए।

48. एक अन्य हितधारक ने सुझाव दिया कि किसी भी मूल्य परिवर्तन और आरआईओ संशोधन को भी वर्ष की पहली जनवरी से प्रभावी बनाया जा सकता है, तथा इसके लिए

कम से कम तीन महीने पूर्व सूचना दी जानी चाहिए, ताकि ग्राहकों को मूल्य में संशोधन के बारे में जानकारी दी जा सके तथा वे संशोधित मूल्य के आधार पर चैनलों का चयन कर सकें।

49. हितधारकों के एक अन्य समूह ने सुझाव दिया कि किसी ब्रॉडकास्टर या डीपीओ द्वारा जारी किसी भी आरआईओ की वैधता को एक वर्ष के लिए अनिवार्य न बनाया जाए और सभी इंटरकनेक्शन समझौते हर साल एक ही तिथि यानी 31 दिसंबर को समाप्त हो सकते हैं। इन हितधारकों में से एक एसोसिएशन ने कहा कि इंटरकनेक्शन समझौतों की अवधि के लिए एक निश्चित अवधि लागू करना अनुचित है। इस तरह का प्रतिबंध सेवा प्रदाताओं को लचीलेपन से वंचित करेगा और इस क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा करेगा। इसके विपरीत, लंबी अवधि के समझौते सेवा प्रदाताओं को अपने टैरिफ ढांचे और व्यवसाय मॉडल की रणनीति बनाने के लिए अधिक स्थिर ढांचा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, इंटरकनेक्शन समझौतों के लिए एक विशिष्ट अवधि को अनिवार्य करना न केवल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हानिकारक होगा, बल्कि सेवा प्रदाताओं पर अनावश्यक परिचालन चुनौतियां भी डालेगा।

50. इसके अलावा कुछ हितधारकों ने यह राय दी कि पूरे क्षेत्र को विनियम मुक्त किया जाना चाहिए और तदनुसार डीपीओ और प्रसारक को बाजार-संचालित समझौतों/सौदों को निष्पादित करने की अनुमति दी जानी चाहिए और ऐसे बाजार-संचालित समझौतों/सौदों की वैधता प्रसारक और डीपीओ के बीच सहमत 'अवधि'के लिए होनी चाहिए, जब तक कि इसमें संशोधन न किया जाए।

51. परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त विचारों में से एक यह था कि इंटरकनेक्शन समझौतों की अनिवार्य अवधि से सेवा प्रदाताओं पर अनावश्यक परिचालन बोझ भी पड़ेगा। इसके अलावा, गैर-विशिष्टता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को मौजूदा प्रावधानों में भी पूरा किया जाता है, इसलिए, इंटरकनेक्शन समझौतों की अवधि को एक निश्चित अवधि तक सीमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक हितधारक ने इस बात का समर्थन किया कि मौजूदा विनियमों के तहत स्थिति को बनाए रखा जाना चाहिए, क्योंकि सभी डीपीओ एक ही समय में आरआईओ को निष्पादित नहीं करते हैं और प्रसारकों द्वारा सभी डीपीओ को सिग्नल प्रदान करने की तिथि में कोई समानता नहीं है।

52. एक अन्य हितधारक ने कहा कि आरआईओ अनुबंध का मामला है और इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या अनुबंध की तिथि या अनुबंध की अवधि के संदर्भ में अनुबंध करने वाले पक्षों के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा, सभी समझौतों के लिए तय समान समाप्ति तिथि को तीन या चार महीने की अवधि जैसे कि वर्ष की अंतिम तिमाही से बदला जा सकता है।

विश्लेषण

53. अंतःसंयोजन विनियम 2017 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, किसी प्रसारक/डीपीओ द्वारा आरआईओ में किसी संशोधन की स्थिति में, प्रसारक/डीपीओ को ऐसे संशोधन की तारीख से तीस दिनों के भीतर उन सभी वितरकों/प्रसारकों को विकल्प देना होगा, जिनके साथ लिखित अंतःसंयोजन समझौते हैं, उन्हें ऐसे संशोधन की तिथि से तीस दिन के भीतर विकल्प प्रस्तुत करना होगा और ऐसे वितरकों/प्रसारकों को ऐसे विकल्प की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर संशोधित आरआईओ के अनुसार नए अंतरसंयोजन समझौते करने की अनुमति होगी, या वे मौजूदा अंतःसंयोजन समझौते को जारी रख सकेंगे।
54. प्राधिकरण का मानना है कि मौजूदा अंतःसंयोजन समझौते का सम्मान करने तथा मूल्य श्रृंखला में निश्चितता और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करने के लिए यह उचित है कि अन्य पक्ष को यह विकल्प दिया जाए कि वे पुराने अंतःसंयोजन समझौते को उसकी वैधता तक जारी रखें या आरआईओ में संशोधन की स्थिति में नया अंतःसंयोजन समझौता करें। इसके अभाव में, प्रसारण मूल्य श्रृंखला में बहुत अनिश्चितता होगी क्योंकि कोई भी सेवा प्रदाता किसी भी समय अपना आरआईओ बदल सकता है और दूसरे पक्ष को एक नए अंतःसंयोजन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, भले ही उनके पास मौजूदा वैध अंतःसंयोजन समझौता हो। इसलिए, एक नए करार में बदलाव को अधिदेशित करते हुए बाजार में बहुत अधिक अस्थिरता और अप्रत्याशितता आ सकती है।
55. ऐसे मामलों में जहां मौजूदा विनियम/टैरिफ आदेश में संशोधन के कारण आरआईओ में संशोधन समीचीन हो जाता है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्राधिकरण, जहां भी आवश्यक हो, विनियम/टैरिफ आदेश के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समय देता है। इसलिए, यदि मौजूदा विनियम/टैरिफ आदेश में संशोधन के कारण आरआईओ में संशोधन समीचीन हो जाता है, तो यह उचित है कि ऐसे परिवर्तित अंतःसंयोजन समझौतों पर सेवा

प्रदाताओं द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार हस्ताक्षर किए जाएं। तदनुसार, प्रासंगिक प्रावधानों में उचित संशोधन किए गए हैं।

56. यह अधिदेशित करने के मुद्दे के संबंध में कि प्रसारक या वितरक द्वारा जारी किसी भी आरआईओ की वैधता 1 वर्ष के लिए हो सकती है और सभी अंतःसंयोजन समझौता हर वर्ष एक समान तिथि यानी 31 दिसंबर को समाप्त हो सकते हैं, प्राधिकरण का विचार है कि इसे बाजार की क्षमताओं के लिए खुला छोड़ा जा सकता है। तदनुसार, वितरक और प्रसारक को बाजार संचालित करार को निष्पादित करने की अनुमति दी जा सकती है और ऐसे करार की वैधता प्रसारक और वितरक के बीच सहमत 'अवधि' के लिए हो सकती है, जो अंतःसंयोजन विनियमन, 2017 के मौजूदा प्रावधानों के अधीन है। अंतःसंयोजन विनियमन 2017 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, किसी भी मामले में अंतःसंयोजन समझौता की अवधि करार के शुरू होने की तारीख से एक वर्ष से कम नहीं होगी।

इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) में चैनलों की सूची - ईपीजी में भाषा शैली की समस्या

57. अंतःसंयोजन विनियमन 2017 (संशोधित) के विनियमन 18 के उप-विनियम 1 और उप-विनियम 2 में निम्नलिखित का उल्लेख है:

"18. इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड में चैनलों की सूची बनाना।- (1) प्रत्येक प्रसारक अपने चैनलों की शैली घोषित करेगा और ऐसी शैली या तो 'भक्ति' या 'सामान्य मनोरंजन' या 'इन्फोटेनमेंट' या 'बच्चों' या 'फिल्में' या 'संगीत' या 'समाचार और समसामयिक मामले' या 'खेल' या 'विविध' होगी।

(2) वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सभी टेलीविजन चैनलों को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड में इस तरह से रखे कि किसी शैली में किसी विशेष भाषा के सभी टेलीविजन चैनल एक साथ क्रमिक रूप से प्रदर्शित हों और एक टेलीविजन चैनल केवल एक स्थान पर दिखाई दे।"

58. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा गुणवत्ता मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 (संशोधित) में भी इसी प्रकार का विनियमन मौजूद है।

59. भादूविप्रा को डीपीओ द्वारा शैली से हटकर चैनल चलाने के बारे में कई शिकायतें मिलीं। भादूविप्रा ने कई डीपीओ के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि वे सभी अंतःसंयोजन विनियम 2017 (संशोधित) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अनुपालन न करने

के पीछे के कारणों की जांच करने पर डीपीओ ने भादूविप्रा को बताया कि एमआईबी एक चैनल को कई भाषाओं में अनुमति देता है। कभी-कभी, कुछ टेलीविजन चैनल कई भाषाओं में कार्यक्रम चलाते हैं। इसलिए, डीपीओ को अंतःसंयोजन विनियम 2017 (संशोधित) के प्रावधानों का अनुपालन करना मुश्किल लगता है, खासकर फ्री-टू-एयर (एफटीए) चैनलों के मामले में।

60. परामर्श पत्र में परामर्श के लिए एक मुद्दा इस प्रकार था:

"प्रश्न 17. क्या ई.पी.जी. में चैनलों की सूची बनाने के लिए डी.पी.ओ. को लचीलापन दिया जाना चाहिए?

क. यदि हाँ, तो प्रसारकों (विशेष रूप से छोटे प्रसारकों) के हितों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए?

ख. यदि नहीं, तो क्या मानदंड अपनाए जाने चाहिए ताकि समान अवसर को बढ़ावा मिले और प्रत्येक हितधारक के हितों की रक्षा हो?"

61. इसके जवाब में, कई हितधारकों ने कहा कि ई.पी.जी. में चैनलों की सूची बनाने के लिए डी.पी.ओ. को लचीलापन दिया जाना चाहिए क्योंकि डी.पी.ओ. भाषा/चैनल के संबंध में उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को समझते हैं। कुछ हितधारकों ने आगे कहा कि ई.पी.जी. चैनल प्लेसमेंट को विनियमित करने का कदम डी.पी.ओ. की मौलिक व्यावसायिक स्वायत्तता का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर का अपने प्लेटफ़ॉर्म को अनुकूलित और मुद्रीकृत करना एक अंतर्निहित अधिकार है। एक हितधारक ने कहा कि डी.पी.ओ. के खिलाफ़ पहले से ही समान अवसर मौजूद हैं और ई.पी.जी. को विनियमित करने जैसे प्रस्ताव इसे और भी अधिक विषम बना देंगे क्योंकि यह उपाय डी.पी.ओ. की व्यावसायिक स्वायत्तता के खिलाफ़ है और इसके अलावा, भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वह ऐसे सुझावों को अनदेखा करे और अनावश्यक सूक्ष्म प्रबंधन द्वारा इसकी स्वायत्तता पर आघात करके एक महत्वपूर्ण हितधारक को अपूरणीय क्षति न पहुँचाए। एक अन्य हितधारक ने कहा कि जिस तरह प्रसारकों को अपने कार्यक्रमों और विज्ञापनों को क्रमबद्ध करने का विवेकाधिकार है, उसी तरह डी.पी.ओ. को अपने ई.पी.जी. की संरचना करने में समान स्वायत्तता दी जानी चाहिए। यह उनके व्यावसायिक परिचालन

का एक मूलभूत पहलू है, जो उन्हें प्रतिस्पर्धी बाजार में स्वयं को अलग करने में सक्षम बनाता है।

62. हितधारकों के दूसरे समूह ने कहा कि ई.पी.जी. में चैनलों की सूची के लिए डी.पी.ओ. को लचीलापन नहीं दिया जाना चाहिए। एक हितधारक ने सुझाव दिया कि विनियमों में सुरक्षा उपाय शामिल किए जाने चाहिए ताकि यह अनिवार्य हो कि एक ही शैली और भाषा के सभी चैनलों को एक साथ सूचीबद्ध किया जाए और लाजिकल चैनल संख्या (एल.सी.एन.) और ई.पी.जी. दोनों में क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाए। भादूविप्रा को डी.पी.ओ. से ई.पी.जी. और एल.सी.एन. में अपने चैनल लाइन-अप की रिपोर्ट भादूविप्रा को देने की अपेक्षा करनी चाहिए और संबंधित प्रसारक अनुपालन की निगरानी कर सकते हैं और छोटे और स्वतंत्र डी.पी.ओ. द्वारा दुरुपयोग से बच सकते हैं।

63. एक अन्य हितधारक ने कहा कि भादूविप्रा प्रसारकों से ईपीजी की व्यवस्था के लिए चैनल की प्राथमिक शैली और भाषा निर्दिष्ट करने के लिए कह सकता है। तब डीपीओ को अनिवार्य रूप से परिभाषित भाषा और शैली के अनुसार चैनल डालना होगा। एक अन्य हितधारक ने कहा कि ईपीजी में लाजिकल संख्या होनी चाहिए जो दर्शकों के लिए आसान होनी चाहिए। शैली-भाषा संयोजनों में चैनलों की नियुक्ति के मामले में डीपीओ के पास वर्तमान में अच्छा लचीलापन है।

64. परामर्श प्रक्रिया में व्यक्त किए गए विचारों में से एक यह था कि भादूविप्रा ईपीजी और एलसीएन के आवंटन के लिए एक निष्पक्ष, उचित और गैर-भेदभावपूर्ण आधार निर्धारित कर सकता है, ताकि डीपीओ द्वारा कोई भेदभाव या मनमानी न की जा सके। ऐसा करते समय, मौजूदा प्रसारकों को उसी ईपीजी और एलसीएन पर जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक अन्य विचार में यह व्यक्त किया गया कि उपभोक्ताओं के लिए बेहतर देखने के अनुभव के लिए, लिस्टिंग की शुरुआत भाषा से होनी चाहिए और उसके बाद शैली होनी चाहिए, न कि इसके विपरीत, जैसा कि आजकल प्रचलित है।

65. एक एसोसिएशन ने कहा कि प्राधिकरण ने डीपीओ को अपने चैनल को उनके ईपीजी पर रखने के लिए पर्याप्त लचीलापन दिया है, जब प्रसारक द्वारा उनकी भाषा और शैली निर्धारित कर दी जाती है। डीपीओ को दिए गए लचीलेपन का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए प्राधिकरणों को इसकी निगरानी जारी रखनी चाहिए।

66. एक हितधारक ने सहनशीलता अपनाने और बाजार की ताकतों को हावी होने देने तथा प्रसारण क्षेत्र के लिए उसी तरह के हल्के-फुल्के नियामक दृष्टिकोण का पालन करने की वकालत की, जैसा दूरसंचार क्षेत्र में लागू किया गया था।

67. परामर्श पत्र में परामर्श के लिए एक मुद्दा इस प्रकार था:

"प्रश्न 18. चूंकि एमआईबी आमतौर पर एक चैनल को कई भाषाओं में अनुमति देता है, ऐसे चैनलों के प्लेसमेंट को कैसे विनियमित किया जा सकता है ताकि सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की जा सके?"

68. इसके जवाब में, कुछ हितधारकों ने कहा कि लचीलापन डीपीओ के पास होना चाहिए क्योंकि डीपीओ भाषा/चैनल के संबंध में उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को समझते हैं। कुछ अन्य हितधारकों ने कहा कि प्रसारकों को आरआईओ के तहत चैनल घोषित करते समय शैली और भाषा घोषित करना आवश्यक है। यदि किसी चैनल में एक से अधिक भाषाएँ हैं, तो प्रसारक द्वारा घोषित चैनल की प्राथमिक भाषा या पहली भाषा को ई.पी.जी. में चैनल को उचित स्थान पर रखने के लिए डीपीओ द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

69. एक हितधारक ने कहा कि ईपीजी पर किसी भी अधिदेश पर पुनर्विचार करने और उसे हटाने की आवश्यकता है, हालांकि, यदि भादूविप्रा का दृष्टिकोण अलग है, तो चैनलों को भाषा की परवाह किए बिना एकल शैली के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। अधिकांश ग्राहक शैलियों का उपयोग करके अपनी पसंद के लिए ब्राउज़ करते हैं, इसलिए, ग्राहकों के हित में, चैनलों को भाषा की परवाह किए बिना एकल शैली के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। एक अन्य हितधारक ने कहा कि केवल बहुभाषी चैनलों के लिए डीपीओ को ऐसे भाषा समूह में चैनल रखने की अनुमति दी जा सकती है जो उनके संचालन के क्षेत्र में बोली जाने वाली बहुसंख्यक भाषा पर आधारित हो, यानी राज्यवार लिस्टिंग की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, एक हितधारक ने कहा कि बहुभाषाओं पर एक अलग अनुभाग होना चाहिए। इस अनुभाग में ज्यादातर इन्फोटेनमेंट, किड्स और स्पोर्ट्स चैनल होंगे जो कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। बहुभाषा चैनल वैकल्पिक रूप से किसी विशेष भाषा अनुभाग का हिस्सा हो सकते हैं बशर्ते वे उस भाषा को अपनी प्राथमिक भाषा घोषित करें।

70. कुछ हितधारकों ने कहा कि इसे प्रसारक और डीपीओ की समझ पर छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा, कई भाषाओं के चैनलों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक हितधारक ने कहा कि कई भाषाओं में कार्यक्रम चलाने वाले चैनल को वह भाषा चुनने की

अनुमति दी जानी चाहिए जिसके तहत वह सूचीबद्ध होना चाहता है और उसके अनुसार उसका पालन किया जाना चाहिए। कुछ अन्य हितधारकों ने कहा कि डीपीओ को प्रसारकों द्वारा घोषित शैली में चैनल रखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन डीपीओ द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित उप-शैली (भाषा के आधार पर) में और प्लेसमेंट अनुक्रम की गणना उप-शैली के आधार पर की जा सकती है।

71. व्यक्त किए गए विचारों में से एक यह था कि एक संभावित समाधान यह है कि चैनल को ईपीजी में दिखाए जाने वाले कंटेंट की प्राथमिक भाषा के अनुसार रखा जाए। दूसरा समाधान उपभोक्ता को अपनी भाषा वरीयता के अनुसार अपने ईपीजी को अनुकूलित करने की अनुमति देकर उपभोक्ता की पसंद को बढ़ावा देना है। एक अन्य हितधारक ने कहा कि उपयोगकर्ता को एसटीबी रिमोट कंट्रोल यूनिट (आरसीयू) बटन से उपयुक्त भाषा चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए। यह चैनलों की क्षमता में मदद करने और कुल बैंडविड्थ को अनुकूलित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। एक अन्य विचार यह था कि एमएसओ को सभी चैनलों को एक ही भाषा में स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए, ताकि ग्राहक के लिए यह आसान हो। एक अन्य हितधारक ने सुझाव दिया कि भादूविप्रा ईपीजी और एलसीएन के आवंटन के लिए एक निष्पक्ष, उचित और गैर-भेदभावपूर्ण आधार निर्धारित कर सकता है ताकि डीपीओ द्वारा कोई भेदभाव और मनमानी न की जा सके।

विश्लेषण

72. ईपीजी को विनियमित करने के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(क) उपभोक्ताओं द्वारा टेलीविजन चैनलों को देखने में आसानी सुनिश्चित करना।

(ख) क्षेत्रीय/स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार टेलीविजन चैनलों की व्यवस्था करने के लिए वितरकों को लचीलापन प्रदान करना।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि प्रसारकों को उचित व्यवहार दिया जाए ताकि वे अपने चैनलों को संबंधित शैली में उचित रूप से रख सकें ताकि दर्शक संख्या प्राप्त हो सके।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि डीपीओ जानबूझकर कुछ प्रसारकों के चैनलों को शैली से बाहर न रखें जिससे ग्राहकों/दर्शकों द्वारा उनका उपयोग कम हो सके।

73. इन उद्देश्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकरण ने निर्णय लिया था कि वितरकों को प्रसारकों के हितों की व्यापक सुरक्षा करते हुए, ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के

लिए कुछ हद तक ई.पी.जी. में चैनलों को सूचीबद्ध करने की छूट होनी चाहिए। तदनुसार, मौजूदा प्रावधानों में यह प्रावधान है कि डी.पी.ओ. को भाषा (एल) या शैली (जी) के आधार पर ई.पी.जी. पर चैनल को व्यवस्थित करने की छूट होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भाषा और शैली के चैनलों की जोड़ी एक साथ बनी रहे। डी.पी.ओ. संयोजन के साथ अपनी स्वयं की योजना तैयार कर सकता है, लेकिन उसे एक ही भाषा और एक ही शैली के चैनलों को एक ही समूह के रूप में एक साथ रखना चाहिए।

74. हालांकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, डीपीओ ने भादूविप्रा को सूचित किया है कि उन्हें अंतःसंयोजन विनियम 2017 (संशोधित) के प्रावधानों का अनुपालन करना मुश्किल लगता है क्योंकि एमआईबी एक चैनल को कई भाषाओं में अनुमति देता है और कभी-कभी, कुछ टेलीविजन चैनल कई भाषाओं में कार्यक्रम चलाते हैं। हितधारकों ने भादूविप्रा को सूचित किया कि विशेष रूप से एफटीए चैनलों के मामले में, यह समस्या अधिक स्पष्ट है।

75. प्राधिकरण का यह मानना है कि मौजूदा ढांचा ई.पी.जी. में चैनल को व्यवस्थित करने में डीपीओ को पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शैली और भाषा के प्रसारक को किसी भी दुर्भावना और मनमानी से पर्याप्त सुरक्षा दी जाए।

76. तथापि, यह उचित है कि डीपीओ को एफटीए चैनलों सहित सभी चैनलों की शैली और प्राथमिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए ताकि ई.पी.जी. में प्रत्येक चैनल को तदनुसार व्यवस्थित किया जा सके। चूंकि एमआईबी प्रत्येक चैनल को डाउनलिंकिंग की अनुमति देता है, इसलिए प्राधिकरण का विचार है कि एमआईबी को प्रत्येक चैनल को अनुमति देते समय प्रसारकों से उनके टेलीविजन चैनल की प्राथमिक भाषा और प्रत्येक गैर-समाचार चैनल की उप-शैली (प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अंतःसंयोजन विनियम 2017 (संशोधित) के विनियम 18 (1) के अनुसार) के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त की गई जानकारी एमआईबी के प्रसारण सेवा पोर्टल पर प्रदर्शित की जा सकती है ताकि वितरक प्रत्येक चैनल को ईपीजी में तदनुसार व्यवस्थित कर सकें। प्राधिकरण का यह भी विचार है कि एमआईबी प्रसारकों के मौजूदा अनुमत चैनलों के लिए भी उपरोक्त जानकारी मांग सकता है और इसे एमआईबी के प्रसारण सेवा पोर्टल पर प्रदर्शित कर सकता है ताकि मौजूदा चैनलों को भी वितरकों द्वारा ईपीजी में उचित रूप से व्यवस्थित किया जा सके

एमएसओ और एलसीओ के बीच राजस्व की हिस्सेदारी

77. अंतःसंयोजन विनियम के विनियमन 12(7) में निम्नलिखित का उल्लेख है:

"(7) स्थानीय केबल ऑपरेटर और मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर के बीच सेवा शुल्क का निपटान आपसी समझौता द्वारा शासित होगा:

बशर्ते कि यदि मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर सेवा शुल्क के निपटान के लिए आपसी करार पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो नेटवर्क क्षमता शुल्क राशि और वितरण शुल्क राशि मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच 55:45 के अनुपात में साझा की जाएगी।"

78. उपर्युक्त ढांचा करार के पक्षों को अपना व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त लचीलापन और पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करता है। वे जिम्मेदारियों के वितरण, सेवा शुल्क और बिलिंग के संबंधित निपटान पर पारस्परिक रूप से सहमत होकर, ग्राहकों को प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अंतःसंयोजन समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया कि आपसी चर्चा विफल होने की स्थिति में, एक विकल्प के रूप में, मानक अंतःसंयोजन समझौता (एसआईए) के अनुसार अंतःसंयोजन समझौता पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें भादूविप्रा ने जिम्मेदारियों का सीमांकन किया था और डीपीओ और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ) के बीच सेवा शुल्क के संगत निपटान को तय किया था। एसआईए में, एलसीओ को उपभोक्ता केंद्रित जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि एमएसओ को वे जिम्मेदारियां दी गई हैं जो उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग सहित एसएमएस से सीधे जुड़ी हुई हैं।

79. इस संबंध में, एलसीओ पे चैनल शेयरिंग प्रतिशत के लिए एक नई नीति तैयार करने की मांग कर रहे हैं।

80. तदनुसार, परामर्श पत्र में परामर्श के लिए एक मुद्दा इस प्रकार था:

"प्रश्न 19. क्या मानक अंतःसंयोजन समझौते में निर्धारित एमएसओ (एचआईटीएस ऑपरेटर सहित) और एलसीओ के बीच राजस्व हिस्सेदारी पर समीक्षा के लिए विचार किया जाना चाहिए?

क. यदि हां:

i. क्या एनसीएफ पर मौजूदा राजस्व की हिस्सेदारी में संशोधन पर विचार किया जाना चाहिए?

ii. क्या विनियमनों में पे चैनलों के लिए वितरण शुल्क, पे चैनलों पर छूट आदि जैसे अन्य राजस्व घटकों पर राजस्व हिस्सेदारी निर्धारित की जानी चाहिए? कृपया सभी राजस्व घटकों को सूचीबद्ध करें और सुझाए गए राजस्व हिस्से के साथ-साथ एलसीओ को मिलने वाले हिस्से को भी सूचीबद्ध करें। कृपया विस्तृत टिप्पणियों/औचित्य के साथ सुझाए गए राजस्व हिस्से पर पहुंचने के लिए की गई मात्रात्मक गणना प्रदान करें।

ख. यदि नहीं, तो कृपया अपनी टिप्पणियों का औचित्य सिद्ध करें।"

81. इसके जवाब में, कई हितधारकों ने राय दी कि एनसीएफ पर मौजूदा राजस्व हिस्सेदारी में संशोधन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। एक एसोसिएशन ने उल्लेख किया कि एमएसओ और केबल ऑपरेटरों के बीच गतिशीलता स्वाभाविक रूप से बाजार-संचालित कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, और किसी भी पक्ष को अनिवार्य साझेदारी बनाने के लिए बाध्य करने वाली कोई बाध्यकारी नियामक शर्त नहीं होनी चाहिए। नेटवर्क संरचना और संबंधित लागत अलग-अलग ऑपरेटरों के लिए अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, एमएसओ हेडएंड लागत से लेकर राष्ट्रीय लंबी दूरी की बैंडविड्थ शुल्क तक कई तरह के बुनियादी ढांचे से संबंधित खर्च वहन करते हैं। ये खर्च एमएसओ के विशिष्ट नेटवर्क डिजाइन और केबल टीवी नेटवर्क की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। इसके विपरीत, अलग-अलग केबल ऑपरेटरों को अलग-अलग लागतों का सामना करना पड़ सकता है, जो राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) शुल्क और उनके केबल बुनियादी ढांचे के दायरे और पैमाने जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। एमएसओ और केबल ऑपरेटरों को गठबंधन बनाने के लिए अनिवार्य करने वाले विनियामक निर्देश की अनुपस्थिति और परिचालन लागतों में अंतर्निहित परिवर्तनशीलता को देखते हुए, मानक अंतःसंयोजन समझौते के भीतर किसी भी अनिवार्य राजस्व-साझाकरण दिशानिर्देश को स्थापित करना प्रतिकूल होगा। इसके अलावा, एमएसओ और एलसीओ के बीच राजस्व साझा करने की व्यवस्था पहले से ही स्थापित है और एमएसओ और एलसीओ के बीच राजस्व साझा करने के बारे में कोई विवाद नहीं है। उनके सदस्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी एलसीओ ने एमआईए में प्रवेश किया है और इसलिए एलसीओ और एमएसओ के बीच पारस्परिक रूप से सहमत राजस्व साझा है और कोई भी बदलाव बाजार संतुलन को बिगाड़ देगा और उद्योग में इस

गंभीर गिरावट के बीच नए विवादों को जन्म देगा। कुछ हितधारकों ने यह भी उल्लेख किया कि एलसीओ और एमएसओ के बीच मौजूदा राजस्व-साझाकरण समझौतों की समीक्षा नहीं की जानी चाहिए और वर्तमान अभ्यास को बनाए रखा जाना चाहिए।

82. कुछ हितधारकों ने इस बात का समर्थन किया कि एनसीएफ पर वर्तमान राजस्व हिस्सेदारी में संशोधन पर विचार किया जाना चाहिए। एक हितधारक ने कहा कि एमएसओ द्वारा सभी राजस्व को एलसीओ के साथ पारदर्शी तरीके से साझा किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें एलसीओ के ग्राहकों के कारण कैरिज, विज्ञापन और अन्य राजस्व प्राप्त होता है। कुछ अन्य हितधारकों ने टिप्पणी की कि एलसीओ को राजस्व का 50% से अधिक मिलना चाहिए क्योंकि एमएसओ एक थोक विक्रेता है और किसी भी व्यवसाय में थोक विक्रेता को खुदरा विक्रेता की तुलना में कम मार्जिन मिलता है। एक अन्य राय यह थी कि एलसीओ को एनसीएफ का कम से कम 75% दिया जाना चाहिए और पे चैनलों में एलसीओ+एमएसओ को 50% राजस्व हिस्सेदारी और ब्रॉडकास्टर को 50% राजस्व हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा, एक एसोसिएशन ने यह राय व्यक्त की कि एमएसओ द्वारा कैरिज, प्लेसमेंट और विज्ञापन से अर्जित समस्त राजस्व को एलसीओ के साथ साझा किया जाना चाहिए, कम से कम 50% एलसीओ को दिया जाना चाहिए।

83. एक अन्य हितधारक ने सुझाव दिया कि वर्तमान राजस्व साझाकरण मॉडल को संशोधित किया जाना चाहिए और इस संशोधन के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित दो विकल्पों पर विचार किया जा सकता है:

i. विकल्प 1: यदि भादूविप्रा 35% के कुल वितरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं करता है, तो 20% का पूरा मौजूदा वितरण शुल्क केवल एलसीओ को मिलना चाहिए, क्योंकि वितरण की पूरी मशीनरी एलसीओ द्वारा संचालित की जाती है। खराब ऋण (बैड डेब्टस्) केवल एलसीओ द्वारा वहन किए जाते हैं क्योंकि एमएसओ मॉडल अब 100% प्रीपेड है। साथ ही, प्रसारकों को डीपीओ को पूरा 15% भुगतान करना अनिवार्य होना चाहिए। एसडी के लिए 170 और एचडी के लिए 210 के एनसीएफ कैपिंग सुझाव लागू होंगे।

ii. विकल्प 2: वितरण शुल्क बढ़ाकर 45% किया गया है।

200 चैनलों के लिए 130 और 200+ चैनलों के लिए 160 के मौजूदा एनसीएफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन मल्टी-टीवी एनसीएफ छूट हटा दी गई है। यहाँ

एलसीओ को 25% वितरण शुल्क और एमएसओ को 20% मिलता है। लेकिन डीपीओ कैरिज शुल्क नहीं ले सकते।

84. कुछ हितधारकों ने कहा कि भादूविप्रा को पे चैनल सब्सक्रिप्शन पर साझा किए जाने वाले राजस्व पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा राजस्व हिस्सेदारी को 50% (प्रसारक) पर पुनः निर्धारित करना चाहिए: 50% (डीपीओ) (केबल टीवी व्यवसाय के मामले में एलसीओ/एलएमओ तथा एमएसओ को 25-25% अथवा डीटीएच के लिए यह 50-50% होना चाहिए, प्रसारकों तथा डीटीएच प्लेयर को) (प्रसारकों द्वारा अर्जित विज्ञापन राजस्व पर विचार करते हुए)। कुछ अन्य हितधारकों ने कहा कि वे चाहते हैं कि एमएसओ द्वारा अर्जित कैरिज, प्लेसमेंट तथा विज्ञापनों से प्राप्त सभी राजस्व को एलसीओ के साथ साझा किया जाए, कम से कम 50% एलसीओ को दिया जाए।

85. परामर्श के दौरान प्राप्त विचारों में से एक यह था कि मानक अंतःसंयोजन समझौता में निर्धारित एमएसओ और एलसीओ के बीच राजस्व हिस्सेदारी पर्याप्त होनी चाहिए क्योंकि इसमें एनसीएफ और वितरण शुल्क दोनों शामिल हैं। हालांकि, इन विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में एलसीओ से संबंधित विनियमों को मजबूत करने की सख्त आवश्यकता है। प्राधिकरण को संदर्भित विनियमों के साथ एलसीओ के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त विनियम शुरू करने चाहिए, जिससे मूल्य श्रृंखला में एमएसओ या एचआईटीएस ऑपरेटरों के हितों की रक्षा हो सके।

विश्लेषण

86. प्राधिकरण का मानना है कि डीपीओ और एलसीओ को आपसी बातचीत के आधार पर सेवा शुल्क का निपटान करना चाहिए। सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा प्रदाताओं के बीच विवाद के कारण सिग्नल बाधित न हों, भादूविप्रा ने डीपीओ और एलसीओ के बीच एक फ़ॉलबैक व्यवस्था निर्धारित की है। ऐसी व्यवस्था केवल उन मामलों के लिए है जहाँ डीपीओ और एलसीओ अपने संबंध में प्रवेश करना या उसे जारी रखना चाहते हैं, फिर भी वे आपसी सहमति से कोई व्यवस्था नहीं बना पाते हैं। हितधारकों की प्रतिक्रिया के अनुसार, आम तौर पर, एलसीओ और एमएसओ आपसी करार कर चुके होते हैं और इसलिए, एलसीओ और एमएसओ के बीच आपसी सहमति से राजस्व हिस्सेदारी होती है। प्राधिकरण ने 15 प्रमुख एमएसओ,

एलसीओ और उनके संघों (वे एलसीओ और उनके संघ जिन्होंने दिनांक 8 अगस्त 2023 को परामर्श पत्र (सीपी) पर अपने जवाब प्रस्तुत किए थे) से एमएसओ और एलसीओ के बीच राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था का विवरण प्रदान करने के लिए कहा था। हालांकि, फोन कॉल और अनुस्मारक के माध्यम से व्यापक अनुनय के बावजूद, इनमें से अधिकांश एमएसओ, सभी एलसीओ और उनके संघों ने प्राधिकरण द्वारा मांगे गए विवरण प्रस्तुत नहीं किए। मौजूदा ढांचा पहले से ही एमएसओ और एलसीओ को आपसी करार करने की अनुमति देता है और एसआईए केवल उन मामलों में निर्धारित किया गया है जहां आपसी करार विफल हो जाते हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण का विचार है कि मौजूदा ढांचा जारी रह सकता है।

कैरिज शुल्क

87.अंतःसंयोजन विनियमन 2017 के विनियमन 8(2) में निम्नलिखित का उल्लेख है:

"(2) उप-विनियमन (1) में संदर्भित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में लक्ष्य बाजार, प्रति माह कैरिज शुल्क की दर, संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के प्रकाशन के समय औसत सक्रिय उपभोक्ता आधार, कैरिज शुल्क की दर पर दी जाने वाली छूट, यदि कोई हो, वितरक को देय कैरिज शुल्क की गणना का तरीका संबंधित तकनीकी और वाणिज्यिक निबंधन और शर्तें सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं तथा अन्य आवश्यक शर्तें शामिल होंगी।

बशर्ते कि टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रति ग्राहक प्रति माह प्रति एसडी चैनल के लिए कैरिज शुल्क की दर घोषित की जानी चाहिए, जो बीस पैसे से अधिक नहीं होगी:

इसके अलावा, टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रति ग्राहक प्रति माह प्रति एचडी चैनल के लिए कैरिज शुल्क की दर घोषित की जानी चाहिए, जो चालीस पैसे से अधिक नहीं होगी:

इसके अलावा, टेलीविजन चैनलों का वितरक अनुसूची I में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार टेलीविजन चैनलों के लिए कैरिज शुल्क राशि की गणना करेगा, जो ऐसे टेलीविजन चैनलों के मासिक सदस्यता प्रतिशत में परिवर्तन के साथ बदल जाएगा।"

88.अंतःसंयोजन विनियम, 2017 के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के अनुसार, टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रति माह प्रति ग्राहक प्रति एसडी चैनल के लिए कैरिज शुल्क की दर बीस पैसे से अधिक नहीं घोषित की जाएगी, जबकि टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रति माह प्रति ग्राहक प्रति एचडी चैनल के लिए कैरिज शुल्क की दर चालीस पैसे से अधिक नहीं घोषित की जाएगी।

89.अंतःसंयोजन विनियम 2017 की अनुसूची I के अनुसार, अंतःसंयोजन समझौता की अवधि के दौरान प्रत्येक महीने या उसके हिस्से के लिए कैरिज शुल्क राशि की गणना नीचे दिए अनुसार की जाएगी:

क. यदि टारगेट मार्केट में किसी चैनल के लिए मासिक सदस्यता, उस महीने के वितरक के औसत सक्रिय ग्राहक आधार के पांच प्रतिशत से कम है, तो कैरिज शुल्क राशि, अंत:संयोजन करार के तहत सहमति के अनुसार, प्रति माह प्रति चैनल प्रति ग्राहक कैरिज शुल्क की दर के बराबर होगी, जिसे टारगेट मार्केट में उस माह वितरक के औसत सक्रिय ग्राहक आधार से गुणा किया जाएगा।

ख. यदि टारगेट मार्केट में किसी चैनल के लिए मासिक सदस्यता, उस माह में वितरक के औसत सक्रिय ग्राहक आधार के पांच प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर है, किन्तु दस प्रतिशत से कम है, तो कैरिज शुल्क की राशि, अंतरसंयोजन करार के अंतर्गत सहमति के अनुसार, प्रति ग्राहक प्रति चैनल प्रति माह कैरिज शुल्क की दर के बराबर होगी, जिसे टारगेट मार्केट में उस माह में वितरक के औसत सक्रिय ग्राहक आधार के 0.75 से गुणा किया जाएगा।

ग. यदि टारगेट मार्केट में किसी चैनल के लिए मासिक सदस्यता, उस माह में वितरक के औसत सक्रिय ग्राहक आधार के दस प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर है, किन्तु पंद्रह प्रतिशत से कम है, तो कैरिज शुल्क की राशि, अंतरसंयोजन करार के अंतर्गत सहमति के अनुसार, प्रति ग्राहक प्रति चैनल प्रति माह कैरिज शुल्क की दर के बराबर होगी, जिसे लक्ष्य बाजार में उस माह में वितरक के औसत सक्रिय ग्राहक आधार के 0.5 से गुणा किया जाएगा।

घ. यदि टारगेट मार्केट में किसी चैनल के लिए मासिक सदस्यता, उस माह में वितरक के औसत सक्रिय ग्राहक आधार के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर है, किन्तु बीस प्रतिशत से कम है, तो कैरिज शुल्क की राशि, अंतरसंयोजन करार के अंतर्गत सहमति के अनुसार, प्रति ग्राहक प्रति चैनल प्रति माह कैरिज शुल्क की दर के बराबर होगी, जिसे लक्ष्य बाजार में उस माह में वितरक के औसत सक्रिय ग्राहक आधार के 0.25 से गुणा किया जाएगा।

ड. यदि टारगेट मार्केट में किसी चैनल के लिए मासिक सदस्यता, उस महीने में वितरक के औसत सक्रिय ग्राहक आधार के बीस प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर है, तो कैरिज शुल्क राशि 'शून्य' के बराबर होगी।

90. अंतःसंयोजन विनियम 2017 व्यवस्था में, प्रसारकों को डीपीओ द्वारा घोषित टारगेट मार्केट में डीपीओ के औसत सक्रिय ग्राहक आधार के आधार पर मासिक कैरिज शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था। विनियमों ने डीपीओ को कैरिज शुल्क का पता लगाने के उद्देश्य से अपने लक्ष्य बाजार की घोषणा करने के लिए लचीलापन प्रदान किया। लक्ष्य बाजार के लिए एकमात्र मार्गदर्शक कारक डीपीओ के हेड-एंड के आधार पर था। लक्ष्य बाजार को एक ही हेड-एंड द्वारा कवर किए गए क्षेत्र या एक ही हेड-एंड द्वारा कवर किए गए ऐसे क्षेत्र के उप-समूह तक सीमित होना चाहिए। इसका मतलब यह था कि अपने सिग्नल के सैटेलाइट फुटप्रिंट के कवरेज के आधार पर, डीटीएच और एचआईटीएस ऑपरेटर पूरे भारत को अपना लक्ष्य बाजार घोषित कर सकते थे।

91. कई क्षेत्रीय प्रसारकों ने भादूविप्रा को बताया था कि कई वितरकों ने या तो 'पूरा देश' या 'कुछ राज्यों का एक साथ संयोजन' को अपना टारगेट मार्केट घोषित किया है। परिणामस्वरूप, उन्हें अत्यधिक कैरिज शुल्क का भुगतान करना पड़ता है क्योंकि कैरिज शुल्क निर्धारित करने के उद्देश्य से पूरे भारत में डीपीओ के सक्रिय ग्राहक आधार को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे मामलों में, रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर आधारित कैरिज शुल्क करार क्षेत्रीय चैनलों के लिए अव्यवहारिक हो जाते हैं। तदनुसार, क्षेत्रीय चैनलों को वैकल्पिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत करने के लिए बाध्य किया जाता है, जिन्हें प्लेसमेंट या मार्केटिंग व्यवस्था कहा जाता है। ऐसे वैकल्पिक करार कैरिज शुल्क विनियमन को व्यय योग्य बनाते हैं।

92.इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 25 सितंबर 2019 को 'अंतःसंयोजन विनियम, 2017 से संबंधित मुद्दे' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अन्य मुद्दों के अलावा डीपीओ द्वारा अत्यधिक कैरिज शुल्क वसूलने से संबंधित मुद्दों पर सभी हितधारकों से परामर्श करना था। परामर्श प्रक्रिया में प्राप्त टिप्पणियों और आंतरिक विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का विचार था कि डीपीओ के लिए प्रति चैनल प्रति माह अधिकतम स्वीकार्य कैरिज शुल्क पर एक सीमा निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए, दिनांक 01.01.2020 के संशोधन के माध्यम से, प्राधिकरण ने डीपीओ के लिए प्रति माह प्रति स्टैन्डर्ड डेफ़िनेसन (एसडी) चैनल पर चार लाख रुपये (4 लाख रुपये) और डीपीओ के लिए प्रति माह प्रति एचडी चैनल पर आठ लाख रुपये (8 लाख रुपये) की कैरिज शुल्क सीमा निर्दिष्ट की।

93.इस प्रकार, अंतःसंयोजन विनियम 2017 की धारा 8(2) को 2020 में निम्नानुसार संशोधित किया गया:

"मूल विनियमों के विनियम 8 में,

(क) उप-विनियम (2) के प्रथम परंतुक में, "बीस पैसे" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"और ऐसे टेलीविजन चैनल के लिए प्रति माह प्रसारणकर्ता द्वारा टेलीविजन चैनलों के वितरक को देय कुल कैरिज शुल्क, किसी भी स्थिति में चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगा"

(ख) उप-विनियम (2) के द्वितीय परंतुक में, "चालीस पैसे" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"और ऐसे टेलीविजन चैनल के लिए प्रति माह प्रसारणकर्ता द्वारा टेलीविजन चैनलों के वितरक को देय कुल कैरिज शुल्क, किसी भी स्थिति में आठ लाख रुपये से अधिक नहीं होगा"।

94.वर्ष 2020 में अंतःसंयोजन विनियम 2017 के विनियम 4 में निम्नानुसार संशोधन किया गया:

"(क) परंतुक के पश्चात् तथा उप-विनियम (3) के स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान किया गया है कि मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर या इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन ऑपरेटर या हेडएंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटर के लिए लक्ष्य बाजार किसी भी मामले में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से बड़ा नहीं होगा।"

95. अब एक एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि 4/8 लाख की कैरेज फीस कैपिंग हटा दी जानी चाहिए। एसोसिएशन ने यह दर्शाया है कि:

i. *भादूविप्रा ने अपने नियमों के तहत प्रसारकों को अपने चैनलों के मूल्य निर्धारण के लिए छूट दी है। इसके अलावा, प्रसारक बिना किसी विनियामक सीमा के विज्ञापन राजस्व एकत्र करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों के लगभग सभी राजस्व स्रोत टैरिफ ऑर्डर, अंतःसंयोजन विनियम या क्यूओएस विनियम के तहत विनियमित/सीमित हैं।*
ii. *ऐसी ही एक विनियामक सीमा कैरिज फीस पर है, जो लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों को उनके नेटवर्क और संबंधित प्लेटफार्मों पर उनके द्वारा किए गए भारी निवेश की वसूली के लिए राजस्व अर्जित करने से रोकती है।*
iii. *इसके अलावा, "मस्ट कैरी" दायित्व के कारण, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों को प्रसारकों के गैर-प्रदर्शनकारी चैनलों को समायोजित करने के लिए नेटवर्क क्षमता में निवेश करना चाहिए। इस प्रकार, कैरिज फीस पर सीमा बाजार अर्थशास्त्र को विकृत करती है और केबल टीवी उद्योग की वित्तीय स्थिति को बढ़ाती है।*
iv. *ड्राइवर चैनलों के साथ अवांछित चैनलों को बंडल करने की अनुमति देने से ब्रॉडकास्टर को एफटीए चैनलों को पे चैनलों में बदलने और उन्हें ड्राइवर चैनलों के साथ जोड़ने की अनुमति मिल गई, जिससे न केवल कैरिज फीस का नुकसान हुआ, बल्कि उसी चैनल के लिए भुगतान करना पड़ा, क्योंकि यह एक बुके में बंडल किया गया था। इसने बाजार को विकृत कर दिया है क्योंकि अवांछित चैनल पे बन गए हैं और ड्राइवर चैनलों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे ग्राहकों पर अधिक बोझ पड़ रहा है।*
v. *इसके अलावा, जो ब्रॉडकास्टर प्रमुख स्थिति में हैं, वे लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों के साथ कैरिज एग्रीमेंट नहीं करते हैं।*
vi. *एसोसिएशन ने भादूविप्रा से बुके को अनबंडल करने और कैरिज फीस पर रियायत देने का अनुरोध किया है, जिससे लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों और ब्रॉडकास्टरों के बीच लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने में मदद मिलेगी।*

vii. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ब्रॉडकास्टर अपने चैनलों की कीमत तय करने और अपने गैर-प्रदर्शनकारी चैनलों को बुके में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों को बेचने के लिए उन्हें दी गई रियायत का दुरुपयोग करते हैं, ताकि वे अपने विज्ञापन राजस्व को अधिकतम कर सकें।

viii. इसके अलावा, मस्ट कैरी गाइडलाइन के तहत पहले आओ पहले पाओ नीति के कारण, अधिक योग्य चैनलों को कैरिज (क्षमता) नहीं मिल पाती है, जबकि कुछ ड्राइवर चैनलों के साथ अग्रणी प्रसारक प्रमुख क्षमता को अवरुद्ध करना जारी रखेंगे, वह भी बुके की आड़ में मुफ्त में।

ix. इसलिए, पहले आओ पहले पाओ मानदंड के साथ मस्ट कैरी का सिद्धांत योग्य चैनलों (या ऐसे चैनल जिन्हें अक्सर उपभोक्ताओं द्वारा पसंद किया जाता है) को बढ़ावा देने के उद्देश्य के खिलाफ काम करता है और अपने वर्तमान स्वरूप में यह मस्ट कैरी सिद्धांत उपलब्ध नेटवर्क क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग में बाधा डालता है।

96. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अंतःसंयोजन विनियम 2017 (संशोधित) के अनुसार, टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रति ग्राहक प्रति माह प्रति हाई-डेफिनिशन चैनल के लिए घोषित की जाने वाली कैरिज फीस की दर चालीस पैसे से अधिक नहीं होगी और ऐसे टेलीविजन चैनल के लिए प्रति माह एक प्रसारक द्वारा टेलीविजन चैनलों के वितरक को देय कुल कैरिज फीस, किसी भी स्थिति में आठ लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। चूंकि एचडी चैनलों द्वारा खपत की जाने वाली बैंडविड्थ एसडी चैनलों के लिए आवश्यक बैंडविड्थ से लगभग दोगुनी थी, इसलिए प्राधिकरण ने एचडी चैनलों के लिए कैरिज फीस की अधिकतम सीमा 0.40 रुपये रखी थी, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपये प्रति माह थी, जो एसडी चैनलों के लिए दोगुनी है।

97. परामर्श पत्र में परामर्श हेतु एक मुद्दा इस प्रकार था:

प्रश्न 20 क्या कैरिज शुल्क पर सीमा की समीक्षा होनी चाहिए?

क. यदि हाँ, तो यह कितना होना चाहिए ताकि सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की जा सके। कृपया इसके लिए समर्थन डेटा के साथ तर्क प्रदान करें।

ख. यदि नहीं, तो कृपया बताएं कि सभी हितधारकों, विशेष रूप से छोटे प्रसारकों के हितों की रक्षा कैसे की जा सकती है?

98.इसके जवाब में, एक सुझाव यह मिला कि कैरिज फीस पर सीमा की समीक्षा की जानी चाहिए। कई हितधारकों ने कहा कि डीपीओ को पहले आओ पहले पाओ के बजाय पारदर्शी तरीके से चैनल चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए और डीडी फ्री डिश द्वारा लगाए जाने वाले कैरिज फीस के अनुरूप कैरिज फीस वसूलनी चाहिए। एक एसोसिएशन ने कहा कि एनटीओ के कार्यान्वयन के बाद, जबकि प्रसारकों को सदस्यता की कीमत निर्धारित करने की स्वतंत्रता है, लेकिन डीपीओ को कैरिज फीस निर्धारित करने के लिए विनियमित किया जाता है। यह प्रणाली, प्रसारकों को अपने टीवी चैनलों की कीमत तय करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करते हुए, प्रसारकों को विनियमित मूल्य पर डीपीओ प्लेटफार्मों पर महत्वपूर्ण बैंडविड्थ का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में प्रसारकों ने अपने फ्री-टू-एयर (एफटीए) चैनलों को पे चैनल में बदल दिया है और ऐसे चैनलों को बंडल कर दिया है। इस बदलाव ने न केवल डीपीओ को संभावित कैरिज फीस राजस्व से वंचित किया, बल्कि कई मामलों में, उन्हें उन चैनलों के लिए प्रसारकों को भुगतान करने के लिए मजबूर किया, जिनकी उपभोक्ताओं की ओर से कोई मांग नहीं है। इस प्रकार, डीपीओ को व्यावसायिक लचीलापन प्रदान करने और समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, यह उचित समय है कि डीपीओ को भी पहले आओ पहले पाओ के बजाय पारदर्शी तरीके से चैनल चुनने की अनुमति दी जाए और डीडी फ्री डिश द्वारा लगाए जाने वाले कैरिज शुल्क के अनुरूप कैरिज शुल्क लिया जाए। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि केवल एफटीए चैनलों को "मस्ट कैरी" प्रावधान का उपयोग करना चाहिए और इसलिए कैरिज आरआईओ केवल एफटीए चैनलों के लिए होना चाहिए, न कि पे चैनलों के लिए। एक अन्य हितधारक ने कहा कि कैरिज शुल्क पर भादूविप्रा का विनियमन डीपीओ की अपनी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने की क्षमता को सीमित करता है। जबकि प्रसारकों को अपने चैनल की कीमतें निर्धारित करने की स्वतंत्रता है, डीपीओ को ऐसा कैरिज शुल्क निर्धारित करने से रोका जाता है जो उनके पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निवेश को दर्शाता हो। यह असंगतता न केवल उनके राजस्व को प्रभावित करती है बल्कि बाजार की गतिशीलता को भी बाधित करती है। दिलचस्प बात यह है कि भादूविप्रा द्वारा निर्धारित कैरिज शुल्क सार्वजनिक प्रसारण मंच डीडी फ्री डिश के शुल्क से भी कम है। यह विसंगति निजी डीपीओ को और नुकसान पहुंचाती है।

99. एक हितधारक ने कहा कि डीपीओ को निश्चित रूप से एनसीएफ को निर्धारित करने और तय करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता और असीमित लचीलापन दिया जाना चाहिए जो वास्तव में उपभोक्ताओं को प्रदान किए जाने वाले मूल्य को दर्शाता है, हालांकि, यह लचीलापन "फ्री टू एयर" सामग्री को प्रसारित करने के लिए जनादेश और जिम्मेदारी के साथ आना चाहिए, विशेष रूप से वह जो "सार्वजनिक हित" को पूरा करता है। केवल इस तरह के संतुलित दृष्टिकोण के माध्यम से एक निष्पक्ष, टिकाऊ और लोकतांत्रिक प्रसारण पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित किया जा सकता है। एफटीए समाचार चैनलों का प्रसारण अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो मुफ्त में पेश किया जाता है वह सभी डीपीओ द्वारा अंतिम उपभोक्ता के लिए अनिवार्य रूप से मुफ्त उपलब्ध कराया जाए।

100. कुछ हितधारकों ने कहा कि डीपीओ के अत्यधिक विनियमित संचालन को विनियमित करने की आवश्यकता है। पूरी मूल्य श्रृंखला में, सभी प्रतिबंध और अधिदेश प्रसारकों को अपने चैनल को सभी नेटवर्क पर चलाने की सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित हैं, भले ही डीपीओ के वाणिज्यिक पहलू कुछ भी हों। अब इस विसंगति को दूर करने का उपयुक्त समय है और चूंकि भादूविप्रा ने प्रसारकों को अनिवार्य रूप से कैरी प्रावधान की सुविधा प्रदान की है, इसलिए डीपीओ की सुविधा के लिए कैरिज शुल्क को भी रियायत के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

101. एक अन्य हितधारक ने कहा कि भादूविप्रा को कैरिज शुल्क की सीमा कम करनी चाहिए और यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि निर्धारित किया जाने वाला उक्त कैरिज शुल्क प्लेसमेंट, मार्केटिंग या किसी अन्य नाम से किसी अन्य व्यवस्था को सम्मिलित करने के लिए सर्व समावेशी है, जिसे एमएसओ द्वारा प्रसारक के साथ किया जाता है। इसके अलावा, एफटीए चैनल विशेष रूप से एफटीए समाचार चैनलों को अनिवार्य रूप से बेस पैक में कैरी और पेश किया जाना चाहिए।

102. कुछ अन्य हितधारकों ने कहा कि कैरिज शुल्क पर सीमा की समीक्षा नहीं की जानी चाहिए। एक एसोसिएशन ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि डीपीओ की ओर से विशेष रूप से प्रसारकों से अवास्तविक और उच्च कैरिज शुल्क वसूलने के लिए कृत्रिम कमी पैदा की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कमी बनी रहे, और चैनलों के कैरिज के लिए कृत्रिम मांग पैदा हो, डीपीओ ने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया है। इसलिए,

डीपीओ को अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी चैनल वहन क्षमता बढ़ा सकें ताकि वे देश में डाउनलिंक की अनुमति प्राप्त सभी चैनलों को ले जा सकें।

103. एक अन्य हितधारक ने प्रस्तुत किया कि कैरिज फीस की अवधारणा को हटा दिया जाना चाहिए और वितरण ऑपरेटर के रूप में डीपीओ के पंजीकरण का मूल्यांकन चैनल वहन क्षमता में वृद्धि के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पंजीकृत टीवी चैनल डीपीओ द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा सकें। सहनशीलता के लंबित रहने तक; नियामक को डीपीओ की उन्नत प्रणालियों के लिए अधिदेश का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए और कैरिज फीस की अवधारणा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि तकनीकी प्रगति के साथ, डीपीओ में बड़ी संख्या में चैनल दिखाने की क्षमता है। डीपीओ द्वारा बनाई गई चैनल वहन क्षमता की कृत्रिम कमी कैरिज फीस का आधार बनती है जो बदले में एक निवारक के रूप में कार्य करती है, जो डीपीओ को अधिक चैनल दिखाने की उनकी क्षमता बढ़ाने से निरुत्साह करती है।

104. परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त विचारों में से एक यह था कि कैरिज शुल्क के संबंध में मौजूदा प्रावधान पर्याप्त हैं और इस स्तर पर इसकी समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ अन्य हितधारकों की राय थी कि कैरिज शुल्क के लिए निर्धारित सीमा में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है और पे चैनल के लिए कैरिज शुल्क एफटीए चैनल से अलग होना चाहिए।

105. सी.पी. में परामर्श हेतु एक मुद्दा इस प्रकार था:

"प्रश्न 21. एचडी चैनलों की पहुंच बढ़ाने के लिए, क्या एचडी चैनलों पर कैरिज शुल्क की दर और एचडी चैनलों पर कैरिज शुल्क की सीमा को कम किया जाना चाहिए। यदि हाँ, तो कृपया एचडी चैनलों पर कैरिज शुल्क की संशोधित दर और कैरिज शुल्क की सीमा निर्दिष्ट करें। कृपया अपने उत्तर का समर्थन उचित औचित्य के साथ करें।"

106. इसके जवाब में, कई हितधारकों ने कहा कि एचडी चैनलों पर कैरिज फीस की दर और एचडी चैनलों पर कैरिज फीस की सीमा को कम किया जा सकता है। इनमें से अधिकांश हितधारकों ने उल्लेख किया कि एचडी चैनलों की पहुंच बढ़ाने के लिए (जो एनटीओ के बाद गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है), एचडी चैनलों की कैरिज फीस की दर

और एचडी चैनलों की कैरिज फीस की सीमा एसडी चैनलों के बराबर होनी चाहिए। संपीड़न और एन्कोडिंग प्रौद्योगिकियों में प्रगति के कारण एचडी चैनलों के लिए उच्च सीमा बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

107. कई हितधारकों ने कहा कि कैरिज फीस को विनियमित करके, भादूविप्रा ने डीपीओ को प्रसारकों से संपत्ति का मुद्रीकरण करने से भी वंचित कर दिया है। इसके अलावा, डीपीओ को पहले आओ पहले पाओ के बजाय पारदर्शी तरीके से चैनल चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए और डीडी-फ्री डिश द्वारा लगाए जाने वाले कैरिज फीस के अनुरूप कैरिज फीस वसूलनी चाहिए। कुछ अन्य हितधारकों ने कहा कि कैरिज फीस पर सीमा हटाई जानी चाहिए और कैरिज फीस पर रोक लगाई जानी चाहिए। एक हितधारक ने कहा कि एचडी या एसडी चैनलों के कैरिज शुल्क को सीमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे आदर्श रूप से सहनशीलता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उपभोक्ता को वह चैनल चुनना होगा जिसे वह सब्सक्राइब करना चाहता है।

108. परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त विचारों में से एक यह था कि एच.डी. चैनलों पर कैरिज शुल्क की दर और एच.डी. चैनलों पर कैरिज शुल्क की सीमा को कम नहीं किया जा सकता। एक अन्य विचार यह था कि कैरिज शुल्क के संबंध में मौजूदा प्रावधान पर्याप्त हैं और इस स्तर पर उनकी समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अन्य विचार यह था कि कैरिज शुल्क केवल एफ.टी.ए. चैनलों पर लागू होना चाहिए और विनियमों में प्रदान की गई कैरिज शुल्क सीमा इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है।

109. एक हितधारक ने कहा कि जहां तक एचडी चैनलों पर कैरिज शुल्क की दर का सवाल है, चूंकि यह अधिक बैंडविड्थ की खपत करता है, इसलिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ अन्य हितधारकों ने कहा कि एचडी चैनलों के लिए कैरिज शुल्क कम करने से जरूरी नहीं कि उनकी पहुंच बढ़ेगी।

110. सीपी में, परामर्श के लिए एक मुद्दा इस प्रकार था:

"प्रश्न 22 क्या भादूविप्रा को फोरेबियरन्स करने के लिए कैरिज शुल्क पर कैपिंग हटाने पर विचार करना चाहिए? कृपया अपने जवाब का औचित्य बताएं।"

111. इसके जवाब में, कई हितधारकों ने कहा कि भादूविप्रा को फोरेबियरन्स शुरू करने के लिए कैरिज शुल्क पर सीमा हटाने पर विचार करना चाहिए। एक हितधारक ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण को पूर्ण फोरेबियरन्स की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए

क्योंकि उद्योग अब कैरिज लागत तय करने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो गया है और इससे हितधारकों को लक्षित दर्शकों और प्रत्येक पक्ष द्वारा उत्पन्न राजस्व के आधार पर भुगतान की जाने वाली कैरिज राशि तय करने के लिए पर्याप्त लचीलापन मिलेगा। एक अन्य हितधारक ने कहा कि भादूविप्रा को कैरिज शुल्क पर सीमा हटा देनी चाहिए और फोरेबियरन्स करनी चाहिए क्योंकि यह सीमा डीपीओ को चैनल चलाने की अपनी लागत वसूलने के लचीलेपन को प्रतिबंधित करती है।

112. एक एसोसिएशन ने आगे कहा कि वितरण ऑपरेटर के रूप में डीपीओ के पंजीकरण का मूल्यांकन बढ़ी हुई चैनल वहन क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पंजीकृत टीवी चैनल डीपीओ द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर चलाए जा सकें। कैरिज शुल्क की अवधारणा को हटा दिया जाना चाहिए।

113. एक हितधारक ने कहा कि एमएसओ कई एमएसओ और एलसीओ का समूह होने के कारण कैरिज शुल्क की सीमा को उसके वास्तविक अर्थ में लागू नहीं किया गया है। इनमें से प्रत्येक एमएसओ कैरिज शुल्क की सीमा की मांग कर रहा है और यदि उक्त प्रावधानों को एमएसओ को अनुचित रूप से समृद्ध करने के तरीके से लागू किया जाता है, तो इसके विफल होने की संभावना है। इस प्रकार, भादूविप्रा को अधिक स्पष्टता लानी चाहिए और कैरिज शुल्क की सीमा को भी कम करना चाहिए और यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उक्त कैरिज शुल्क को प्लेसमेंट, मार्केटिंग या किसी अन्य नाम से किसी अन्य व्यवस्था को संयोजित करने के लिए एक सर्व-समावेशी के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसे एमएसओ द्वारा प्रसारक के साथ दर्ज किया गया है। साथ ही, एफटीए चैनलों विशेष रूप से एफटीए समाचार चैनलों को अनिवार्य रूप से बेस पैक में शामिल किया जाना चाहिए और पेश किया जाना चाहिए।

114. परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त एक अन्य विचार यह था कि भादूविप्रा को योजनाबद्ध तरीके से मूल्य श्रृंखला में सभी हितधारकों के लिए फोरेबियरन्स की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि, यदि फोरेबियरन्स केवल चयनित क्षेत्रों में ही लागू की जाती है, तो यह विनियामक ढांचे को विकृत कर सकती है। इन हितधारकों में से एक ने प्रस्तुत किया कि यदि कैरिज फीस पर कोई सीमा नहीं है, तो डीपीओ के प्रति सक्रिय ग्राहक एसडी और एचडी चैनलों के लिए क्रमशः 20 पैसे और 40 पैसे का कैरिज शुल्क बहुत अधिक है और मध्यम और छोटे प्रसारकों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है।

115. एक अन्य हितधारक ने प्रस्तुत किया कि वे विनियम हटाने की वकालत करते हैं, तथापि, यदि रियायत दी जाती है, तो प्रसारकों द्वारा दी जाने वाली कीमतों और छूटों सहित समग्रता में इसे लागू किया जाना चाहिए, तथा इसे केवल डीपीओ द्वारा वसूले जाने वाले कैरिज शुल्क के संबंध में ही नहीं लागू किया जा सकता है, अर्थात रियायत पूरे वितरण पारिस्थितिकी तंत्र पर लागू होनी चाहिए।

116. परामर्श प्रक्रिया के दौरान कुछ हितधारकों द्वारा व्यक्त किया गया एक अन्य विचार यह था कि कैरिज शुल्क पर वर्तमान सीमा को बरकरार रखा जाना चाहिए।

विश्लेषण

117. कैरिज शुल्क व्यवस्था की उत्पत्ति पूर्ववर्ती एनालॉग प्लेटफॉर्म की सीमित क्षमता के कारण हुई है, जिनकी चैनल को प्रसारित करने की क्षमता सीमित थी। अतिरिक्त चैनल क्षमता के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होती है। डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) के कार्यान्वयन ने इस तरह के खर्चों को काफी हद तक कम कर दिया है। डीएएस के कार्यान्वयन के बाद एमएसओ प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चैनलों की संख्या में वृद्धि हुई है। आम तौर पर डीपीओ उन चैनलों को प्रसारित करता है, जिनकी उसके ग्राहकों द्वारा मांग होती है। 'कैरिज शुल्क' उन चैनलों से मांगा जाता है, जिनकी मांग डीपीओ के अनुसार पर्याप्त नहीं है। इसलिए, यह डीपीओ का तंत्र है कि वह ऐसे चैनल को प्रसारित करने के लिए मुआवजा प्राप्त करे, जिसकी मांग उपभोक्ताओं द्वारा अधिक नहीं की जाती है। विभिन्न लागत और व्यय संरचनाओं की जांच करने के बाद, प्राधिकरण का विचार था कि कैरिज शुल्क भुगतान को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है, खासकर उन मामलों में जहां ग्राहक आधार बड़ा है और तदनुसार कैरिज शुल्क पर एक सीमा निर्दिष्ट की गई थी।

118. प्राधिकरण का मानना है कि यदि प्रसारक द्वारा डीपीओ को प्रति चैनल प्रति माह देय अधिकतम स्वीकार्य कैरिज शुल्क की सीमा हटा दी जाती है, तो क्षेत्रीय और छोटे प्रसारकों को नुकसान हो सकता है, जो क्षेत्र के हित में नहीं हो सकता है। तदनुसार, इस स्तर पर कैरिज शुल्क की सीमा नहीं हटाई जा सकती है।

119. प्राधिकरण का यह भी मानना है कि विनियामक ढांचे को सरल बनाने के लिए, चैनल की पहुंच के अनुपात में कैरिज शुल्क में कमी निर्धारित करने वाले विभिन्न स्लैब

को हटाया जा सकता है और एक ही स्लैब निर्दिष्ट किया जा सकता है। तदनुसार, यदि टारगेट मार्केट में किसी चैनल के लिए मासिक सदस्यता उस महीने में वितरक के औसत सक्रिय ग्राहक आधार के बीस प्रतिशत से कम है, तो प्रसारक निर्दिष्ट कैरिज शुल्क का भुगतान कर सकता है और यदि टारगेट मार्केट में किसी चैनल के लिए मासिक सदस्यता बीस प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर है, तो कैरिज शुल्क राशि 'शून्य' के बराबर होनी चाहिए।

120. यह ध्यान देने योग्य है कि टीवी चैनलों को संपीड़ित करने और प्रसारित करने के लिए डीपीओ द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियों में बहुत अधिक भिन्नता है। प्राधिकरण का मानना है कि प्रौद्योगिकी तटस्थ दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, एचडी या बेहतर गुणवत्ता वाले चैनल पर उच्च सीमा प्रसारकों को उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले चैनल पेश करने से हतोत्साहित कर सकती है। तदनुसार, प्राधिकरण का मानना है कि चैनल के लिए प्रति ग्राहक समान कैरिज शुल्क सीमा निर्धारित की जा सकती है, चाहे वह एचडी, एसडी या कोई अन्य हो। उपरोक्त के मद्देनजर, इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के अन्य विनियमन/अनुसूची में भी उपयुक्त संशोधन किए गए हैं।

121. अंतःसंयोजन विनियम 2017 के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के अनुसार, टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रति माह प्रति ग्राहक प्रति एसडी चैनल के लिए घोषित की जाने वाली कैरिज फीस की दर बीस पैसे से अधिक नहीं होगी, जबकि टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रति माह प्रति ग्राहक प्रति एचडी चैनल के लिए घोषित की जाने वाली कैरिज फीस की दर चालीस पैसे से अधिक नहीं होगी। दिनांक 01.01.2020 के संशोधन के अनुसार, प्राधिकरण ने डीपीओ के लिए प्रति एसडी चैनल प्रति माह चार लाख रुपये (4 लाख रुपये) और डीपीओ के लिए प्रति एचडी चैनल प्रति माह आठ लाख रुपये (8 लाख रुपये) की कैरिज फीस सीमा निर्दिष्ट की। प्रति ग्राहक प्रति माह एक चैनल के लिए एकल कैरिज फीस (चाहे चैनल एसडी, एचडी या कोई अन्य हो) पर पहुंचने के लिए, प्राधिकरण ने भारित औसत पद्धति का उपयोग किया और एसडी और एचडी चैनलों पर लागू मौजूदा कैरिज फीस और एसडी और एचडी टेलीविजन चैनलों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए कई तरीकों से इसकी गणना की, जैसा कि निम्नलिखित है:

क. एमआईबी द्वारा अनुमत एसडी और एचडी टेलीविजन चैनलों की कुल संख्या (अप्रैल 2024 तक)

ख. कुछ डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ द्वारा प्रसारित एसडी और एचडी टेलीविजन चैनलों की कुल संख्या।

इसी तरह, प्राधिकरण ने प्रति चैनल प्रति माह कैरिज शुल्क की कुल सीमा की गणना करने के लिए भारित औसत पद्धति का उपयोग किया। यह पाया गया कि प्रति चैनल प्रति ग्राहक प्रति माह कैरिज शुल्क 22.71 पैसे से 25.96 पैसे तक भिन्न-भिन्न था और प्रति चैनल प्रति माह कैरिज शुल्क की सीमा 4.54 लाख रुपये से 5.19 लाख रुपये तक भिन्न-भिन्न थी।

122. इसके अनुसार, प्राधिकरण ने प्रति चैनल प्रति ग्राहक प्रति माह 25 पैसे से अधिक कैरिज शुल्क निर्धारित नहीं किया है, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये प्रति चैनल प्रति माह (चाहे चैनल एसडी, एचडी या कोई अन्य हो) है। यह सीमा अधिकतम राशि (संचयी राशि) होगी जो एक प्रसारक को एक डीपीओ को प्रति चैनल भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, भले ही डीपीओ द्वारा घोषित टारगेट एरिया कुछ भी हो।

123. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, विनियमों में उपयुक्त प्रावधान शामिल किए गए हैं। हालाँकि, बाजार के विकास पर नज़र रखी जाएगी, तथा उचित समय पर आगे के हस्तक्षेप पर विचार किया जाएगा।

मौजूदा अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति के बाद डीपीओ के प्लेटफॉर्म से चैनल को हटाना

124. अंतःसंयोजन विनियम 2017 के अनुसार

"9. अंतःसंयोजन समझौता से संबंधित सामान्य प्रावधान.– (1) सेवा प्रदाताओं के लिए अपने सभी अंतःसंयोजन समझौतों की शर्तों को लिखित रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा"...

"10. ***प्रसारक और टेलीविजन चैनलों के वितरक के बीच अंतःसंयोजन समझौता*** .– (1) कोई भी प्रसारक टेलीविजन चैनलों के वितरक के साथ लिखित अंतःसंयोजन समझौता किए बिना उसे पे चैनलों के सिग्नल प्रदान नहीं करेगा।

(2) टेलीविजन चैनलों का कोई भी वितरक ऐसे प्रसारक के साथ लिखित अंतःसंयोजन समझौता किए बिना किसी प्रसारक के पे चैनलों का वितरण नहीं करेगा।"...

"10 (14) प्रत्येक प्रसारक मौजूदा अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति से पहले टेलीविजन चैनलों के वितरक के साथ एक नया लिखित अंतःसंयोजन समझौता करेगा:

बशर्ते कि प्रसारक मौजूदा अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति की तारीख से कम से कम साठ दिन पहले टेलीविजन चैनलों के वितरक को नया लिखित अंतःसंयोजन समझौता करने की सूचना देगा:

इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि पक्ष मौजूदा अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति से पहले नया अंतःसंयोजन समझौता करने में विफल रहते हैं, तो प्रसारक मौजूदा अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति पर टेलीविजन चैनलों के सिग्नल टेलीविजन चैनलों के वितरक को उपलब्ध नहीं कराएगा:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि टेलीविजन चैनलों का वितरक अपने मौजूदा अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति की तारीख से पंद्रह दिन पहले उक्त करार में शामिल चैनलों पर स्क्रॉल के माध्यम से ग्राहकों को सूचित करेगा-

(क) अपने मौजूदा अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति की तारीख; और

(ख) नए अंतःसंयोजन समझौता में प्रवेश करने में विफल होने की स्थिति में टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों के वियोग की तिथि।".....

10 (15) टेलीविजन चैनलों का कोई भी वितरक, ऐसे टेलीविजन चैनलों का प्रसारण नहीं करेगा, जिनके लिए किसी प्रसारक से टेलीविजन चैनलों के वितरण के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रसारक के साथ लिखित अंतःसंयोजन समझौता किए बिना।"

"10(21) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक, प्रसारक द्वारा अनुरोधित टेलीविजन चैनलों को प्रसारित करने के लिए, विद्यमान अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति से पहले एक नया लिखित अंतःसंयोजन समझौता करेगा:

बशर्ते कि टेलीविजन चैनलों का वितरक, विद्यमान अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति की तिथि से कम से कम साठ दिन पहले, प्रसारक को नया लिखित अंतःसंयोजन समझौता करने के लिए नोटिस देगा:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि यदि पक्षकार विद्यमान अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति से पहले नया अंतःसंयोजन समझौता करने में विफल रहते हैं, तो टेलीविजन चैनलों का वितरक विद्यमान अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति पर ऐसे टेलीविजन चैनलों को प्रसारित नहीं कर सकता है:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि टेलीविजन चैनलों का वितरक किसी टेलीविजन चैनल को प्रसारित करना बंद नहीं करेगा, यदि ऐसे टेलीविजन चैनल के सिग्नल वितरण के लिए उपलब्ध रहते हैं और उस विशेष टेलीविजन चैनल के लिए मासिक सदस्यता प्रतिशत लक्षित बाजार में मासिक औसत सक्रिय ग्राहक आधार के बीस प्रतिशत से अधिक है:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि यदि टेलीविजन चैनलों का वितरक विद्यमान अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति के कारण किसी टेलीविजन चैनल को प्रसारित करना बंद करने का निर्णय लेता है। अंतःसंयोजन समझौता के तहत, वह अपने मौजूदा अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति की तारीख से पंद्रह दिन पहले, उक्त करार में शामिल चैनलों पर स्क्रॉल के माध्यम से ग्राहकों को सूचित करेगा-

(क) अपने मौजूदा अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति की तारीख; और

(ख) नए अंतःसंयोजन समझौता में प्रवेश करने में विफल होने की स्थिति में टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों के वियोग की तारीख।

125. अंतःसंयोजन विनियम 2017 की धारा 10(14) के अनुसार, प्रत्येक प्रसारक को मौजूदा अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति से पहले डीपीओ के साथ एक नया लिखित अंतःसंयोजन समझौता करना होगा और यदि पक्ष मौजूदा अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति से पहले नया अंतःसंयोजन समझौता करने में विफल रहते हैं, तो प्रसारक मौजूदा अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति पर टेलीविजन चैनलों के सिग्नल टेलीविजन चैनलों के वितरक को उपलब्ध नहीं कराएगा। हालांकि, अंतःसंयोजन समझौता 2017 की धारा 10(21) में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक डीपीओ को मौजूदा अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति से पहले एक नया लिखित अंतःसंयोजन समझौता करना होगा। विनियम 10 (21) में आगे उल्लेख किया गया है कि यदि पक्षकार मौजूदा अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति से पहले नया अंतःसंयोजन समझौता करने में विफल रहते हैं, तो डीपीओ मौजूदा

अंतःसंयोजन समझौता की समाप्ति पर ऐसे टेलीविजन चैनलों का प्रसारण नहीं कर सकता है, हालांकि डीपीओ उस टेलीविजन चैनल का प्रसारण बंद नहीं करेगा, यदि ऐसे टेलीविजन चैनल के सिग्नल वितरण के लिए उपलब्ध रहते हैं और उस विशेष टेलीविजन चैनल के लिए मासिक सदस्यता प्रतिशत टारगेट मार्केट में मासिक औसत सक्रिय ग्राहक आधार के बीस प्रतिशत से अधिक है।

126. परामर्श पत्र (सीपी) में परामर्श के लिए एक मुद्दा इस प्रकार था:

"प्रश्न 23. डीपीओ के आरआईओ आधारित करार के संबंध में, यदि प्रसारक और डीपीओ मौजूदा करार की समाप्ति से पहले नए अंतःसंयोजन समझौता में प्रवेश करने में विफल रहते हैं, तो मौजूदा अंतःसंयोजन विनियमन में यह प्रावधान है कि यदि पक्ष नए समझौता में प्रवेश करने में विफल रहते हैं, तो डीपीओ किसी टेलीविजन चैनल को प्रसारित करना बंद नहीं करेगा, यदि ऐसे टेलीविजन चैनल के सिग्नल वितरण के लिए उपलब्ध रहते हैं और उस टेलीविजन चैनल के लिए मासिक सदस्यता प्रतिशत टारगेट मार्केट में मासिक औसत सक्रिय ग्राहक आधार के बीस प्रतिशत से अधिक है। क्या 20 प्रतिशत के इस निर्दिष्ट प्रतिशत की समीक्षा की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो डीपीओ के मासिक औसत सक्रिय ग्राहक आधार का संशोधित निर्धारित प्रतिशत क्या होना चाहिए। कृपया अपने उत्तर के लिए औचित्य प्रदान करें।"

127. इसके जवाब में, कई हितधारकों ने कहा कि 20 प्रतिशत के इस निर्दिष्ट प्रतिशत की समीक्षा की आवश्यकता है। कुछ हितधारकों ने कहा कि इस प्रश्न में एक बुनियादी दोष है क्योंकि यह डीपीओ पर बातचीत करने और करार को बंद करने का दायित्व डालता है। वास्तव में, बातचीत करने और करार को समाप्त करने का दायित्व दोनों पक्षों पर होना चाहिए। हालांकि, इस प्रश्न में प्रस्तावित डीपीओ पर कोई भी ऐसी बाधा डालना आर्थिक रूप से दोषपूर्ण होगा और डीपीओ को प्रसारकों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक रूप से नुकसानदेह स्थिति में डाल देगा और इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। किसी भी डीपीओ को प्रसारक द्वारा निर्धारित कीमत पर चैनल चलाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह करार न कर ले क्योंकि प्रसारक के पास अपने चैनल को एफटीए घोषित करने और अपने चैनल को प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए कैरिज आरआईओ का उपयोग करने का वैकल्पिक उपाय है। एक अन्य हितधारक ने प्रस्तुत किया कि आरआईओ का उद्देश्य द्विपक्षीय वार्ता को

प्रतिस्थापित या अधिक्रमित करना नहीं है, बल्कि वार्ता रुकने पर एक ढांचा प्रदान करना है। इसके अलावा, विनियामक हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए और असाधारण परिस्थितियों के लिए आरक्षित होना चाहिए, जहाँ इसे सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक माना जाता है। डीपीओ पर प्रतिबंध लगाने से बाजार की गतिशीलता बाधित हो सकती है, जिससे उन्हें प्रसारकों के सापेक्ष नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस तरह के प्रतिबंध भारत के संविधान में निर्धारित सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 19 का भी उल्लंघन करेंगे।

128. एक हितधारक ने कहा कि यह शर्त पूरी तरह से डीपीओ के हितों के खिलाफ है और प्रसारकों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है क्योंकि ऐसी संभावना हो सकती है कि डीपीओ के आरआईओ करार को निष्पादित करने और अपने चैनलों को डीपीओ के पूरे आधार के लिए उपलब्ध बुके में शामिल करवाने के बाद कोई प्रसारक उसके बाद अगले वर्ष के लिए कैरिज शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार न हो और इस तरह डीपीओ को किसी भी कैरिज शुल्क के साथ चैनल वितरित करना जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़े। व्यक्त किए गए विचारों में से एक यह था कि इस शर्त को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और केवल सार्वजनिक हित से संबंधित असाधारण स्थितियों में, भादूविप्रा यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है कि पक्ष एक करार में प्रवेश करें। एक अन्य हितधारक ने कहा कि आरआईओ करार की समाप्ति के बाद भी चैनल उपलब्ध कराने के लिए डीपीओ पर लगाए गए दायित्व को हटा दिया जाना चाहिए।

129. एक अन्य राय यह थी कि यह डीपीओ पर लगाया गया एक अनावश्यक प्रतिबंध है, जिसमें प्रसारकों के लिए कोई संगत शर्त नहीं है, जिससे यह विनियामक असंतुलन का एक और बिंदु बन गया है। नए करार में प्रवेश करने में विफलता के मामले में चैनलों को प्रसारित करने के लिए डीपीओ पर इस तरह के किसी भी जनादेश की कोई आवश्यकता नहीं है।

130. एक हितधारक ने सुझाव दिया कि कम आंकड़ा आवश्यक है क्योंकि ग्राहक को उसकी गलती के बिना ही नुकसान उठाना पड़ता है। अक्सर शिकायतें आती हैं कि डीपीओ अचानक चैनल बंद कर देते हैं। इस मनमानी कार्रवाई के खिलाफ ग्राहक को कोई सुरक्षा नहीं है। एक भी व्यक्तिगत ग्राहक को डीपीओ की दया पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन

अन्य कारकों पर विचार करते हुए, 10% का कम आंकड़ा निर्धारित करने का सुझाव दिया जाता है।

131. एक अन्य हितधारक ने कहा कि डीपीओ के सक्रिय ग्राहकों की 20% सीमा एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है और व्यावहारिक नहीं है। बड़ी संख्या में टीवी चैनलों के मद्देनजर एक बहुत लोकप्रिय टीवी चैनल के लिए भी, विभिन्न भाषाओं/शैलियों/लोगों की प्राथमिकताओं आदि के मद्देनजर इस सीमा को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए, एक अधिक यथार्थवादी सीमा बनाई जानी चाहिए जो डीपीओ के सक्रिय ग्राहक आधार के 5% से अधिक नहीं हो सकती है।

132. एक अन्य हितधारक ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों के लिए सीमा प्रतिशत अलग-अलग हो सकता है। क्षेत्रीय चैनलों के लिए 3% सीमा बनाए रखें। एक हितधारक ने सुझाव दिया कि 20% की सीमा को बरकरार रखा जाना चाहिए, हालांकि, विशिष्ट क्षेत्र के बाहर क्षेत्रीय चैनलों के लिए यह संख्या भिन्न हो सकती है क्योंकि क्षेत्रीय चैनलों के लिए कम आधार दर्शक होने की उम्मीद है।

133. हितधारकों के एक अन्य समूह ने राय दी कि निर्दिष्ट प्रतिशत में किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है और मासिक औसत सक्रिय ग्राहक आधार का निर्धारित प्रतिशत 20% के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। एक अन्य हितधारक ने प्रस्तुत किया कि 20% से अधिक की निर्दिष्ट सीमा की गणना पिछले 6 महीनों के औसत प्रतिशत के अनुसार की जानी चाहिए।

विश्लेषण

134. अंतःसंयोजन विनियम 2017 के अनुसार, जैसे ही किसी चैनल के लिए मासिक सदस्यता उस महीने में टारगेट मार्केट में वितरक के औसत सक्रिय ग्राहक आधार के बीस प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक हो जाती है, कैरिज शुल्क शून्य हो जाता है। तदनुसार, ऐसी स्थिति में, एक डीपीओ ऐसे टेलीविज़न चैनल को जारी रखने के लिए इच्छुक नहीं हो सकता है, विशेष रूप से, जब ब्रॉडकास्टर के साथ नए अंतःसंयोजन समझौता में प्रवेश कर रहा हो। हालांकि, चूंकि इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए डीपीओ को यह आदेश दिया गया है कि यदि ऐसे टेलीविजन चैनल के सिग्नल वितरण के लिए उपलब्ध हैं, और उस विशेष टेलीविजन चैनल के लिए मासिक सदस्यता

प्रतिशत टारगेट मार्केट में मासिक औसत सक्रिय ग्राहक आधार के बीस प्रतिशत से अधिक है, तो वे टेलीविजन चैनल को प्रसारित करना बंद न करें। इसलिए, उपभोक्ताओं के हित में ऐसे चैनलों के सिग्नल की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण का विचार है कि ऐसी शर्त को हटाया नहीं जा सकता है।

वित्तीय निरुत्साहन

135. परामर्श पत्र (सी.पी.) में हितधारकों से पूछा गया कि क्या सेवा प्रदाता द्वारा टैरिफ आदेश, अंतःसंयोजन विनियम और सेवा गुणवत्ता विनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में वित्तीय हतोत्साहन लगाया जाना चाहिए। उन्हें विभिन्न उल्लंघनों के लिए वित्तीय हतोत्साहन की राशि के साथ-साथ अनुपालन के लिए समय और सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर अनुपालन न किए जाने की स्थिति में लगाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त वित्तीय हतोत्साहन को विनिर्दिष्ट करने के लिए भी कहा गया। परामर्श पत्र (सी.पी.) में उठाए गए मुद्दों, हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के सार और प्राधिकरण के विश्लेषण के लिए कृपया सी.पी. और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2024 (2024 का 1) के व्याख्यात्मक ज्ञापन का संदर्भ लें।

136. वित्तीय हतोत्साहन लगाने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने नोट किया कि अंतःसंयोजन विनियम 2017 (संशोधित) के विनियम के कुछ उल्लंघन से उपभोक्ता के हित/चयन को प्रभावित करने, अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने आदि जैसे महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ने इन विनियमों के उल्लंघन के लिए वित्तीय हतोत्साहन की एक उच्च राशि लगाने का निर्णय लिया है (अनुसूची-XI की सारणी-1 में समूह-ख के अंतर्गत उल्लिखित)। कम निहितार्थ वाले विनियमों के उल्लंघन के लिए, और जो सीधे उपभोक्ता हितों को प्रभावित नहीं करते हैं, वित्तीय हतोत्साहन की एक कम राशि निर्धारित की गई है (अनुसूची-XI की सारणी-1 में समूह-क के अंतर्गत उल्लिखित)। उपरोक्त के मद्देनजर, संशोधित अंतःसंयोजन विनियम 2017 के विभिन्न विनियम, और उनके पहले उल्लंघन और बाद के उल्लंघन के लिए लगाए जाने वाले वित्तीय हतोत्साहन की राशि इस प्रकार है:

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए वित्तीय हतोत्साहन की मात्रा

विनियम	विवरण	वित्तीय हतोत्साहन की अधिकतम राशि (Q) (रु. में)	
		प्रथम बार उल्लंघन करने पर	बाद में उल्लंघन करने पर
समूह क: कम वित्तीय हतोत्साहन के लिए विनियम			
4(3)	टेलीविजन चैनलों के वितरकों के सामान्य दायित्व	परामर्श/ चेतावनी	25,000
4(4)	टेलीविजन चैनलों के वितरकों के सामान्य दायित्व	परामर्श/ चेतावनी	25,000
7	पे चैनलों के लिए प्रसारक द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का प्रकाशन।	परामर्श/ चेतावनी	25,000
8	टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का प्रकाशन।	परामर्श/ चेतावनी	25,000
16	अधिकतम खुदरा मूल्य और चैनल की प्रकृति में परिवर्तन; इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करना जिनमें सशुल्क चैनलों के प्रसारकों द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के प्रकाशन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।	परामर्श/ चेतावनी	25,000
18(2)	इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड में चैनलों की सूची: वितरकों के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सभी टेलीविजन चैनलों को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में इस तरह से रखना कि एक शैली में किसी विशेष भाषा के सभी	परामर्श/ चेतावनी	25,000

	टेलीविजन चैनलों को एक साथ लगातार प्रदर्शित किया जाए		
19	सेवा प्रदाताओं का विवरण	परामर्श/ चेतावनी	25,000
20	अनुपालन अधिकारी का पदनाम और उसके दायित्व।	परामर्श/ चेतावनी	25,000
समूह ख: उच्च वित्तीय हतोत्साहन के लिए विनियम			
6(1)	प्रसारकों द्वारा ए-ला-कार्टे आधार पर चैनलों की अनिवार्य पेशकश	25,000	1,00,000
18(2)	इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड में चैनलों की सूची: एक टेलीविजन चैनल केवल एक ही स्थान पर दिखाई देगा।	25,000	1,00,000
18(3)	इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम गाइड में चैनलों की सूची बनाना: वितरण नेटवर्क पर उपलब्ध प्रत्येक टेलीविजन चैनल के लिए एक विशिष्ट चैनल संख्या निर्दिष्ट करना।	25,000	1,00,000
18(4)	इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम गाइड में चैनलों की सूची बनाना: किसी विशेष टेलीविजन चैनल को एक बार आवंटित गए चैनल नंबर को वितरक द्वारा इस तरह के आवंटन की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक नहीं बदला जाना चाहिए, बशर्ते कि उसमें परंतुक निहित हो।	25,000	1,00,000

137. यह ध्यान देने योग्य है कि विनियम 15 के उप-विनियम (1ए) और विनियम 4ए के तहत वित्तीय हतोत्साहन लगाने के प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। अनुसूची XI विनियम 15 के उप-विनियम (1ए) और विनियम 4ए के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा।

138. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कृपया वित्तीय हतोत्साहन से संबंधित मुद्दे पर प्राधिकरण के विस्तृत विश्लेषण और विचारों के लिए दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2024 (2024 का 1) के व्याख्यात्मक ज्ञापन को देखें। उपरोक्त के मद्देनजर, विनियमों में उपयुक्त प्रावधान शामिल किए गए हैं।

****